मई, 2023 तक
अद्यतन संशोधित

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्यादित, ...

रजिस्ट्रेशन क्रमांक : .... दिनांक ....
(छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्टीकृत)

पता : ग्राम ....पोस्ट ....विकासखण्ड ....

तहसील...जिला..(छत्तीसगढ़)

कार्य क्षेत्र : ....

....

....

उपविधियां

उपविधि क्रमांक (1)

सोसाइटी का नाम, पता और कार्यक्षेत्र–

सोसाइटी का नाम :

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी/कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी/आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी मर्यादित, ... होगा।

रजिस्ट्रीकृत पता :

पताः–ग्राम................................ पोस्ट ....पिन...........................
विकासखण्ड...........................तहसील...........................जिला.........................

कार्यक्षेत्र :

इसका कार्य क्षेत्र इन ग्रामों की सीमा तक सीमित रहेगा।

....

....

....

....

....

....

....

नोट : **सोसाइटी** के पते में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने पर इसकी सूचना रजिस्ट्रार, प्रत्येक सदस्य एवं उस **सोसाइटी** को जिसकी यह **सोसाइटी** सदस्य है, को 30 दिवस के भीतर अधिनियम/नियम के प्रावधान अनुसार भेजना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक (2)

परिभाषाएं : – इन उपविधियों में जब तक संदर्भ से अन्यथा, अपेक्षित न हो –

(1) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 से है।

(2) **''नियम''** से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 से है।

(3) **''सहकारी वर्ष''**	से अभिप्रेत प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
(4) **''धारा''**	से अभिप्रेत अधिनियम की धारा से है।
(5) **''उपविधियां''**	से अभिप्रेत अधिनियमों के अन्तर्गत इस **सोसाइटी** की रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत मान्य की हुई उपविधियों से है तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो और उनके अन्तर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संशोधन आता है।
(6) **''रजिस्ट्रार''**	से अभिप्रेत अधिनियम की धारा–3 के अधीन नियुक्त किये गये सहकारी सोसाइटियां, छत्तीसगढ़ के ''रजिस्ट्रार'' से है, अथवा उस अधिकारी से जिसे सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
(7) **''लाभांश''**	से अभिप्रेत किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशो के मूल्य के अनुपात में सोसाइटी के लाभ में से चुकाई गई रकम से है।
(8) **''सदस्य''**	से अभिप्रेत इस सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति/महिला या कोई ऐसा व्यक्ति/महिला जिसे रजिस्ट्रेशन के बाद उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत सदस्यता प्रदान कर दी गई हो।
(9) **''अध्यक्ष''**	से अभिप्रेत अधिनियम/नियम/उपविधियों के अनुसार सोसाइटी के नामांकित/निर्वाचित अध्यक्ष/सभापति से है।
(10) **''कार्यक्षेत्र''**	से अभिप्रेत वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है।
(11) **''बोर्ड/कमेटी''**	से अभिप्रेत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स अथवा सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निदेशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा गया हो।
(12) **''प्रबंधक/कर्मचारी''**	से अभिप्रेत सोसाइटी के कार्य संचालन के लिए बैंक संवर्ग का समिति प्रबंधक तथा बोर्ड द्वारा सेवानियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त/सेवारत कर्मचारी से है।
(13) **''राज्य शासन''**	से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ शासन से है।

(14) **''सेवानियम''**	से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 55(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा बनाये गये सेवानियमों से है।
(15) **''सोसाइटी''**	से अभिप्रेत उपविधि क्रमांक 01 में वर्णित ''सोसाइटी'' से है।
(16) **''प्रतिनिधि''**	से अभिप्रेत सोसाइटी का ऐसा सदस्य जो सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे।
(17) **''विनिर्दिष्ट पद''**	से अभिप्रेत है अध्यक्ष/सभापति का पद।
(18) **''अधिकरण''**	से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण।
(19) **''राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग''**	से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 50—ख में निर्दिष्ट आयोग, जो सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय।
नोट :—	ऐसी शब्दावली जिनका प्रयोग इन उपविधियों में किया गया है एवं परिभाषित नहीं है, उनकी व्याख्या अधिनियम एवं नियमों में दी गई परिभाषाओं से किया जायेगा।

उपविधि क्रमांक (3)

उद्देश्य :—

इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा।

सोसाइटी का उद्देश्य निम्नानुसार होगा :—

(1) कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों का अनुरक्षण करते हुए (जैसे ऋण योग्यता और दिए गए ऋण की सुरक्षा) RBI या राज्य सरकार और इसके संगठनों द्वारा स्वीकृत/समर्थित किन्हीं वित्तीय संस्थानों से शेयर पूंजी जमा राशि और उधार के माध्यम से अपने सदस्यों को कृषि और कृषि उत्पादों से संबंधित खेती पूर्व व उसके बाद की कार्यकलापों के लिए समय पर और पर्याप्त **अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण,** कृषि प्रयोजन के लिए ट्रेक्टरों की खरीद जैसे वाहन ऋण उपभोग या वस्तुओं/बॉन्ड/प्रतिभूतियों आदि जैसे संपार्श्विक/प्रतिज्ञा वित्तपोषण के विरुद्ध चिकित्सा प्रयोजन के लिए **ऋण प्रदान करना;**

(2) वित्तपोषण बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/राज्य सहकारी बैंक/राज्य और केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् **दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना;**

(3) **पश्चगामी लिंकेज** (जैसे प्रदर्शन भूखंड, सिंचाई सुविधाएं खाद उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन कस्टम हायरिंग केन्द्र कृषि मशीनरी/उपकरण, कीटनाशक और अन्य उत्पादन संबंधी इनपुट इत्यादि) और **अग्रगामी लिंकेज** (जैसे संग्रहण, श्रेणीकरण, सफाई, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन, भंडारण (गोदाम व शीतागार), प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रशीतीत वेन आदि का **प्रोत्साहन और विकास** करके सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में सदस्यों को कृषि पैदावार और उसके उत्पाद (जैसे फसलों, फल व सब्जियों, पुष्प कृषि, डेयरी कार्यकलापों, मात्स्यिकी/झींगा खेती पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, बागानी फसल, भेड़, बकरी, खरगोश, सुवर पालन और अन्य कोई भू/जलीय आधारित कृषि संबंधित कार्यकलाप और उनका प्रसंस्करण) में **तकनीकी और वित्तीय सहायता** प्रदान करना, कृषि यंत्र एवं उपकरण, कृषि आदान एवं अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करना व उसे ऋण अथवा नकदी पर देना या किराये पर प्रदान करना;

(4) कृषि उत्पादन कार्यक्रम बनाना एवं जनकल्याणकारी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना;

(5) सोसाइटी और सदस्यों के लाभ के अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी स्थानीय निकाय/सरकार/विभाग/सोसाइटी/कंपनी के साथ सुगम व्यवस्था या सहयोग करना, लघु एवं कुटीर उद्योग व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना;

(6) **सेवा या व्यावसायिक कार्य** (जैसे अधोसंरचना विकास, सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, खाद्यान्नों का प्रापण (उपार्जन) उचित मूल्य दुकान, या कोई सरकारी योजना, डीलरशिप/एजेंसी/डिस्ट्रिब्यूटरशीप या एलपीजी/पेट्रोल/डीजल/हरित ऊर्जा/कृषि या घरेलू उपभोग्य या टिकाउ वस्तुओं/कृषि मशीनरी कौशल विकास हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण आदि) **में शामिल होना** जिससे सोसाइटी या इसके सदस्यों की **सुविधाओं और आय में वृद्धि** सुनिश्चित हो सके;

(7) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की अनुमति से लॉकर सुविधा स्थापित करना या उसकी व्यवस्था करना;

(8) कार्यक्षेत्र में सभी सदस्यों और गैर सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और व्यवसाय संबंधी **सूचना एकत्र करना**, जिससे कृषि योजना और संबंधित व्यवसाय योजना या विकास योजना के लिए नीति अवसंरचना (Framework) सुदृढ़ हो सके और जो कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए लाभकारी होय

(9) सोसाइटी और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों का **प्रदर्शन संवर्धन** और **नवीनतम प्रौद्योगिकी** या विस्तारित कार्यकलापों का **विकास**;

(10) अपने सदस्यों और उनके परिवारों (विशेषकर युवाओं और महिलाओं) तथा प्रबंधन व स्टाफ को सहकारी सिद्धांतो, मूल्यों और आचरणों की शिक्षा देना, जिससे कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों में **प्रशिक्षण,** एक्सपोजर दौरे या **क्षमता निर्माण** कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव और **आर्थिक लाभ** को बढ़ावा मिलेगा;

(11) वित्तीय/बैंककारी संस्थानों के लिए एजेंट या बैंक मित्र/व्यावसायिक अभिकर्ता/ व्यावसायिक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना;

(12) सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु तथा माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(13) कार्यक्षेत्र में सहकार आधारित कार्यकलापों में युवाओं व महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केन्द्रित व प्रोत्साहित करना;

(14) सदस्यों को शिक्षा (विद्यालय महाविद्यालय), स्वास्थ्य (अस्पताल, डिस्पेंसरी, नैदानिक प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सेवा) पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में तथा संधारणीय (Sustainable) विकास कार्यकलापों में **समुदाय आधारित सेवा प्रदान करना**;

(15) कार्यक्षेत्र में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत् सेवाएं प्रदान करने में प्रतिभाग करना;

(16) विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा उपयोग हेतु सूचना/डेटा केन्द्र के स्रोत के रूप में कार्य करना;

(17) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में ऑनलाइन डिजीटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (CSC) के रूप में कार्य करना;

(18) सोसाइटी के सदस्यों के लाभ के लिए अपने कार्यक्षेत्र के बाहर विपणन और समान कार्यकलाप करना;

(19) भूमि भवन, गोदाम, प्रसंस्करण इकाई और ऐसे अन्य आवश्यक आस्तियों का मालिक बनना;

(20) साधारण निकाय द्वारा सोसाइटी के सदस्यों को लाभ के लिए स्वीकृत ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल और प्रासंगिक हों।

उपविधि क्रमांक (4)
सेवाएं/सुविधाएं, जो सदस्यों को प्रदान की जायेगी :–

4.(एक)(अ) ऋणों की स्वीकृति :– बोर्ड/कमेटी द्वारा ऋण केवल सोसाइटी के सदस्यों को ही स्वीकृत किए जा सकेंगे, ऋण के प्रार्थना पत्र, इसके लिए निर्धारित फार्म में भरकर, अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जावेंगे। यदि बोर्ड/कमेटी ने ऋणों की स्वीकृति के लिए उपसमिति बनाई हो तो अध्यक्ष ऐसे समस्त प्रार्थना पत्रों की जांच एवं सिफारिश के लिए ऐसी उपसमिति को भेजेगा और इसके पश्चात् बोर्ड/कमेटी के समक्ष स्वीकृति के लिए रखेगा। यदि बोर्ड/कमेटी ने ऐसी कोई उपसमिति नही बनाई हो तो अध्यक्ष समस्त ऋण के आवेदन पत्रों की जांच करके स्वीकृति के लिए बोर्ड/कमेटी के सामने रखेगा।

(ब)(एक):– ऋण केवल निम्नलिखित कार्यो के लिए दिए जायेंगे :–

(1) बीज, रासायनिक खाद, कम्पोस्ट खाद और कृषि साधन एवं यंत्रों की खरीदी तथा खेती के अन्य खर्चो के लिए।

(2) चारा, जैसेः– घास, कड़वी, भूसी, सर्की, खली आदि की खरीदी के लिए।

(3) बैल गाड़ियां खरीदी अथवा बनाने के लिए।

(4) भूमि सुधार, भूमि खरीदी व सिंचाई, कुंए की खुदाई, सफाई व मरम्मत, नालों पर बांध बांधना आदि के लिए।

(5) रहने के मकानों अथवा पशु घरों के बनाने, खरीदने अथवा मरम्मत के लिए।

(6) कारीगरों को उनके उद्योग के लिए जरूरी यंत्रों अथवा कच्चा माल खरीदी करने के लिए।

(7) सदस्यों की भूमि के बंधक पर रजिस्ट्रार की अनुमति/जारी निर्देशों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा निर्धारित उद्देश्यों हेतु दीर्घावधि ऋण देना ।

(8) राज्य शासन/रजिस्ट्रार के दिशा–निर्देश के अनुरूप अन्य ऐसे कार्यो के लिए जो सोसाइटी के उद्देश्यों में वेष्ठित हों।

(दो):– जब उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए ऋण दिया जायेगा, तो
बोर्ड/कमेटी ऋण लेने वाले को, एक अनुबंध के द्वारा इस ऋण

की सहायता से उत्पन्न की गई सारी कृषि अथवा अन्य उपज अथवा उसका ऐसा भाग जो ऐसे ऋण की अथवा उसकी बची हुई राशि की वसूली के लिए जरूरी हो, इस सोसाइटी अथवा विपणन सहकारी सोसाइटी के द्वारा जिससे वह जुड़ी हो, बेचने के लिए तथा सोसाइटी को ऐसी बिक्री की राशि से, अपने ऋण अथवा ऋणों/उसकी शेष राशि की वसूली करने हेतु अधिकृत करने के लिए बाध्य कर सकेगी। ऋणी सदस्य द्वारा पैदावार बेचने सम्बन्धी अनुबंध को भंग करने पर अधिक से अधिक 100 रूपए दण्ड देना होगा। परन्तु दण्ड तभी अधिरोपित किया जा सकेगा जब सोसाइटी/विपणन सोसाइटी द्वारा उपज खरीदी की व्यवस्था की गई हो।

(तीन) :– बीज, रासायनिक खाद, कम्पोस्ट खाद कृषि यंत्रों आदि के लिए जहां तक सम्भव हो, सोसाइटी अपने सदस्यों को ऋण इन वस्तुओं के रूप में ही देगी।

(चार) :– **सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय :–**

सोसाइटी अपने प्रत्येक सदस्य को प्रथम ऋण के समय रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रारूप में किसान क्रेडिट कार्ड सह पासबुक प्रदाय करेगी। सहकारी वर्ष, समाप्त होने के तीन माह के भीतर वर्ष के दौरान दिए गए उधारों तथा प्राप्त वसूली के संव्यवहार की प्रविष्टियां दी गई किसान क्रेडिट कार्ड सह पासबुक में किया जाकर प्रबंधक द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

(स) ऋण के दुरूपयोग की दशा में वापसी आदि :–

यदि संबंधित बैंक या बोर्ड/कमेटी की राय में सोसाइटी द्वारा स्वीकृत किसी ऋण का दुरूपयोग किया गया हो, तो इस उपविधि के माध्यम से सोसाइटी द्वारा बैंक को अधिकार दिया जाता है कि उस अवधि की समाप्ति, जिसके लिए कि ऋण स्वीकृत किया गया था, के पूर्व ही समस्त ऋण ब्याज सहित वसूली के लिए तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करे एवं राशि वसूल करे। उपरोक्त प्रकार की वसूलियों के लिए बोर्ड/कमेटी के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

(द) वसूली की राशि वित्तदायी बैंक में जमा करना :–

ऋण की वसूली राशि को अधिकतम सात दिन के अन्दर सोसाइटी के अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बैंक या उसकी शाखा में जमा करा देगा। ऐसा न करने पर अमानत में खयानत समझा जायेगा और पुलिस को अपराधिक कृत्य हेतु प्रकरण सौंपा जा सकेगा। संबंधित बैंक द्वारा जिन सदस्यों के नाम से ऋण स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं को ही ऋण प्रदाय किया जायेगा। यदि किसी कारण से उनको ऋण प्रदाय नहीं किया जाता है, तो वह राशि बैंक को वापस किया जायेगा।

4.(दो) व्यक्तिगत सदस्यों की ऋण सीमा :–

कोई भी सदस्य किसी भी संबंधित बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई ऋण सीमा से अधिक का सोसाइटी का ऋणी नहीं हो सकेगा। उपरोक्त अधिकतम सीमा के भीतर किसी भी सदस्य द्वारा खरीदे गये प्रत्येक 100 रूपये के अंश पर 1000 रूपये से अधिक ऋण प्राप्त करने का वह अधिकारी नहीं होगा, अविभाजित परिवार के सदस्यों को कुल मिलाकर, एक सदस्य को दिए जा सकने वाले ऋण से अधिक ऋण नहीं दिया जायेगा। संबंधित बैंक समय–समय पर किसानों को दिए जाने वाले अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋणों की प्रति एकड़ सीमाएं निर्धारित कर सकेंगे और सोसाइटी को इन सीमाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.(तीन) ऋणों पर ब्याज की दर :–

सदस्यों द्वारा सोसाइटी से प्राप्त किये गये ऋण पर देय ब्याज की दर, ऐसे अधिकतम ब्याज की दरों के अधीन होगी, जो समय–समय पर शीर्ष बैंक या रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, छत्तीसगढ़ की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित की गई हों।

4.(चार) ऋणों की प्रतिभूतियां :–

ऋणों की प्रतिभूतियां निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक रीति से ली जा सकेगी :–

(अ) ऋण लेने वाले सदस्य की अमानत यदि सोसाइटी में जमा हो, तो उसके तारण पर, जो ऐसी अमानत की राशि के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ब) ऋण लेने वाले सदस्यों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी पर और ऋण लेने वाले सदस्य के लिए एक अथवा अधिक सदस्यों की प्रतिभूति पर, किन्तु कोई भी सदस्य कुल मिलाकर, अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक 100 रूपए के अंश पर 500 रूपए से अधिक प्रतिभूति नहीं दे सकेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिभूति की नियत की गई ऋण सीमा में ऐसे ऋण की प्रतिभूति देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होना चाहिए।

टिप्पणी :–

इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित सीमा में तारण के दिए गए ऋण की राशि, इस उपविधि के खण्ड (एक) में उल्लिखित व्यक्तिगत सदस्य को अथवा अविभाजित परिवार के सदस्यों को साधारणतया दिये जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि, सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों के अनुसार आंकी गयी ऋण सीमा की राशि में शामिल नहीं होगी।

(स) प्रभारहीन भू–सम्पत्ति जिस पर ऋण लेने वाले का पूर्ण स्वामित्व हो, के बंधक द्वारा अथवा उस पर सोसाइटी के प्रथम भार की

घोषणा द्वारा, किन्तु ऐसा ऋण उस सीमा तक ही दिया जाये, जो कि संबंधित बैंक द्वारा रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से नियत की गयी हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वीकृत सीमा के अधीन शासन के पक्ष में प्रभारित भू–सम्पत्ति के द्वारा बंधक पर भी ऋण दिया जा सकेगा।

(द) ऋण लेने वाले की गृह सम्पत्ति एवं अन्य अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा अथवा उस पर सोसाइटी को प्रथम भार की घोषणा पर ऋण दिया जा सकेगा, जिस पर कि उसका पूर्ण स्वामित्व हो तथा सोसाइटी या अन्य किसी का कोई प्रभार न हो, किन्तु ऐसा ऋण, ऐसे गृह सम्पत्ति के प्रमाणित मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4.(पांच) ऋण के चुकाने की अवधि :–

प्रत्येक ऋण के भुगतान की अवधि ऋण के आशय के अनुसार बोर्ड/कमेटी द्वारा निम्नानुसार नियत की जायेगी :–

(अ) चालू व्ययों के ऋण, जैसे–लगान चुकाने के लिए, बीज, रासायनिक खाद, जैविक खाद, कम्पोस्ट खाद और अन्य कृषि खर्चों के वस्तु/नगद ऋण के लिए, कारीगरों को आवश्यक कच्चे माल के लिए तथा जीवन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं पशुओं के चारे की खरीदी आदि के लिए दिए गए ऋण **'अल्पकालीन ऋण'** कहलायेंगे और उनका भुगतान फसल के अनुरूप 6 माह से 18 माह की अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(ब) कृषि यंत्रों एवं पशुओं की खरीदी के लिए, देशी गाड़ियां बनाने अथवा खरीदने, भू–सुधार एवं भूमि खरीदी के लिए, निवास गृहों एवं पशुओं के लिए छप्परों के बनाने व खरीदी करने अथवा दुरूस्ती के लिए, कारीगरों को अपने उद्योग के लिए, आवश्यक यंत्र खरीदी करने के लिए, अग्रिम देने के लिए, फुटकर ऋणों के भुगतान के लिए, मरम्मत एवं निर्माण के फुटकर ठेकों के लिए तथा सहायक धंधों को स्थापित करने एवं चलाने आदि के लिए दिये गये ऋण **'मध्यकालीन ऋण'** कहलायेंगे और उनका भुगतान 15 माह से 5 वर्ष तक अवधि तक किया जायेगा।

(स) ऋण किश्तें जहां तक संभव हो, इस प्रकार नियत की जायेगी कि उनके भुगतान का समय फसल की बिक्री के समय के साथ–साथ आये व ऐसे समय पर आये, जब किसान उसका भुगतान कर सके। यदि किसी ऋण के भुगतान की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, तो ऋण की किश्तें बंधक पत्र में स्पष्ट रूप से, इस शर्त के साथ निर्धारित की जायेगी कि यदि मूल ऋण अथवा ब्याज की किसी राशि का नियत दिन को भुगतान नहीं किया जाता है, तो कुल राशि तत्काल वसूली योग्य होगी और बोर्ड/कमेटी ऐसे ऋण लेने वाले सदस्य का खाता तत्काल

अवरूद्ध कर सकेगी एवं बैंक को इस प्रकार की कुल बकाया राशि को वसूली करने का उसे अधिकार होगा।

4.(छ:) ऋण के खातों को अवरूद्ध किया जाना :–

(अ) जब कोई ऋण बोर्ड/कमेटी द्वारा दुरूपयोग के कारण निरस्त कर दिया गया हो, तो उस सदस्य को स्वीकृत ऋण की शेष राशि प्राप्त करने से वंचित कर दिया जायेगा तथा बोर्ड/कमेटी ऋण लेने वाले सदस्य को इस आशय की तथा ऋण की सुविधा से वंचित किये जाने के दिन तक शेष ऋण एवं उस पर ब्याज सहित सोसाइटी को देय शेष राशि की सूचना देगा। ऐसी राशि की एकमुश्त वसूली के लिए जिले या क्षेत्र के संबंधित बैंक को अधिकार होगा। ऐसे ऋण का दुरूपयोग करने वाले सदस्य से कुल स्वीकृत ऋण का 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज वसूला जायेगा, यदि ऋण नीति में अन्यथा उपबंधित न हो।

(ब) जब कोई प्रतिभू मर जाए अथवा उपविधि क्रमांक 9 के अनुसार सदस्य न रहा हो, तो मूल ऋणी तत्काल इसकी सूचना सोसाइटी को देगा और या तो उस पर शेष देय ऋण का भुगतान अंतिम दिन तक ब्याज सहित शीघ्र करेगा अथवा बोर्ड/कमेटी द्वारा स्वीकृति योग्य नया एक अथवा अधिक प्रतिभूति सहित नये बंधक पत्र सोसाइटी के पक्ष में लिखकर देगा। यदि बोर्ड/कमेटी द्वारा नियत किए गये काल के भीतर ऋण भुगतान की व्यवस्था नहीं की जाये अथवा नया प्रतिभू अथवा प्रतिभू–गण प्रस्तुत न किए जायें अथवा जब कोई सदस्य, जिसने अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा सोसाइटी से ऋण लिया हो, उसी सम्पत्ति के बंधक द्वारा अन्यत्र ऋण प्राप्त करे अथवा बिना बोर्ड/कमेटी की पूर्वानुमति सोसाइटी के पास पूर्व से ही बंधक रखी हुई सम्पत्ति को बेच दे, तो जिस अवधि के लिए ऋण दिया गया था, उसका ध्यान किये बिना सदस्य के ऋण का खाता अवरूद्ध कर दिया जायेगा और उपरोक्त कंडिका (1) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा उसे भविष्य के लिए ऋण सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।

(स) यदि कोई सदस्य किसी समय सदस्यता के अयोग्य हो जाये और इस कारण से उपविधि क्रमांक 9 के अंतर्गत उसका नाम सदस्यों की सूची से हटाय दिया जाये अथवा यदि कोई सदस्य सोसाइटी से निकाला जाये, तो संबंधित सदस्य के ऋण का खाता, यदि कोई है, तो अवधि जिसके लिए कि ऐसा ऋण दिया गया था, का ध्यान किए बिना तत्काल अवरूद्ध कर दिया जायेगा और ऋण लेने वाले द्वारा देय शेष राशि की वसूली के लिए कंडिका (1) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4.(सात) सदस्यों को दिये गये वस्तु ऋण का समायोजन :–

(अ) जब ऋण वस्तु के रूप में दिया जायेगा तो सदस्य के खाते में ऐसी वस्तु की बिक्री की कीमत नामे दर्ज की जायेगी और उस पर विधिवत ब्याज लिया जायेगा।

(ब) सोसाइटी प्रत्येक सदस्य के लिये एक खाता रखेगी, जिसमें नगदी ऋण तथा वस्तु के रूप में दिये गये ऋण, अलग–अलग संधारित किये जायेगा।

4.(आठ) सदस्यों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना :–

(अ) बोर्ड/कमेटी कृषि साधन जैसे बीज, खाद व कृषि यंत्र, पशुओं का चारा आदि के लिए अपने सदस्यों को उधार या किराये पर देने की व्यवस्था कर सकेगी।

(ब) कृषि संबंधी, औद्योगिक, घरेलू एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीदी करने के लिये बोर्ड/कमेटी साधारणतया सदस्यों के आढ़तियों (एजेन्ट) के रूप में कार्य करेगी, सामग्रियों की खरीदी आवश्यकताओं के अनुसार ही की जायेगी। इस प्रकार के लेन–देन के हिसाब–किताब ऐसे प्रारूपों में रखे जायेंगे, जो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किये जाए।

(स) कंडिका (ब) में चाहे कुछ भी लिखा गया हो, बोर्ड/कमेटी को यह अधिकार होगा कि सदस्यों की पुख्ता और कम से कम जरूरतों का सामान प्रदान करने के लिये सोसाइटी की चुकी हुई अंशपूंजी तक, वस्तुओं को खरीदने में लगा सकती है। चुकी हुई अंशपूंजी से अधिक खर्च सामूहिक खरीदी के सिद्धांत पर जो कंडिका (ब) में बताया गया है, के अनुसार किया जा सकता है।

(द) बोर्ड/कमेटी द्वारा प्रत्येक छःमाही के अंत में शेष सामग्री की जांच और आवश्यक छीजन की व्यवस्था की जायेगी।

4.(नौ) सदस्यों की उपज की बिक्री :–

(अ) बोर्ड/कमेटी के सदस्य निम्नलिखित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था कर सकेगीः–

(1) सदस्यों की कृषि उपज।

(2) सदस्यों की कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं।

सदस्यों की उपज की बिक्री की व्यवस्था करते समय बोर्ड/कमेटी किसी हानि का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी और केवल संबंधित सदस्यों के एजेन्ट के रूप मे कार्य करेगी तथा सोसाइटी की ओर से स्वामी के रूप में कोई कारोबार नहीं करेगी। कारोबार में हुई किसी प्रकार की हानि का उत्तरदायित्व समिति पर न होकर संबंधित सदस्यों पर होगा। जब बोर्ड/कमेटी का कोई सदस्य संबंधित सदस्यों के प्रतिनिधि (एजेन्ट) के रूप में कार्य करेगा तो संबंधित सदस्य

अथवा सदस्यों द्वारा लिखित अधिकार पत्र के अंतर्गत ही ऐसा किया जा सकेगा। बोर्ड/कमेटी संबंधित सदस्यों की स्पष्ट अनुमति के बिना व्यापारियों से वायदा व्यापार नहीं करेगा। सोसाइटी के गोदाम से कोई भी उपज तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि उस पर शेष कुल ऋण, ब्याज, शुल्क अथवा अन्य खर्चों का पूरी तरह से पहले भुगतान न कर दिया गया हो।

(ब) सदस्यों की ओर से किये जाने वाले विक्रय संबंधी राशि को सीधे सदस्य के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा।

(स) बोर्ड/कमेटी द्वारा की गई बिक्री व्यवस्था पर यथा निर्धारित कमीशन लिया जायेगा।

(द) प्रत्येक छःमाही के अन्त में संबंधित सदस्यों को विधिवत सूचना देने के बाद सोसाइटी के संरक्षण में रखे गये समस्त उपजों के शेष माल/सामग्री (स्टाक) की जांच की जायेगी। बोर्ड/कमेटी सोसाइटी के गोदाम में जमा की गयी उपज के ऊपर छीजन, सिकड़न आदि दरें नियत करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी दरें सोसाइटी के सदस्यों पर बंधनकारी होगा।

(इ) सामग्री को सदस्यों द्वारा सोसाइटी में रखते समय, सोसाइटी द्वारा बिक्री के समय व सोसाइटी द्वारा सदस्यों को सुपुर्द करते समय, प्रत्येक समय ऐसे माल/सामग्री के स्वरूप के अनुसार उसका परिमाण तौला, मापा अथवा गिना जायेगा। सामग्री की ऐसी तौल, माप अथवा संख्या, लेन–देन के पहले की सामग्री और लेन–देन के बाद का शेष माल/सामग्री, जैसा कि लेन–देन से संबंधित सामग्री के परिमाण के गणित संबंधी सामान्य जोड़ या बाकी विदित हो, दर्शाते हुए एक बिल दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। दूसरी प्रति सदस्यों के देकर मूल प्रति पर उसके हस्ताक्षर लिये जायेंगे, जो शेष माल/सामग्री की छःमाही जांच के समय उसके स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होने संबंधी सूचना पत्र (नोटिस) को तामील का प्रतीक होगा। यदि शेष सामग्री की छःमाही जांच के समय किसी प्रकार बोर्ड/कमेटी द्वारा इन उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित छीजन की दरों से अधिक सामग्री की सिकुड़न अथवा कमी पाई जाये, तो बोर्ड/कमेटी ऐसी कमी के कारणों की तत्काल खोज करेगी और यह निर्णय करेगी कि कमी या अधिक, सिकुड़न के कारण हुई ऐसी हानि को सोसाइटी वहन करेगी अथवा संबंधित सदस्य। इस प्रकार का निर्णय संबंधित सदस्यों के ऊपर बंधनकारी होगा।

(फ) (1) बोर्ड/कमेटी अपने सदस्यों में से एक को बिक्री के लिये नामांकित करने के सक्षम होगी, जो विपणन सहकारी सोसाइटी के माध्यम से उपज की बिक्री की व्यवस्था करेगा। ऐसे सदस्य के नामांकन की सूचना तत्काल विपणन सहकारी

सोसाइटी को दी जायेगी एवं इस कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिये बोर्ड/कमेटी, सहायक नियम बना सकेगी।

(2) सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह ध्यान रखे कि सदस्यों को सोसाइटी में बिक्री के लिये जमा की गई उनकी कृषि उपज का अच्छा और योग्य मूल्य मिले।

4.(दस) प्रक्रिया यंत्र एवं अन्य यंत्र :-

(अ) बोर्ड/कमेटी सदस्यों को उपयोग के लिये प्रक्रिया यंत्र, जैसे चांवल निकालने की मशीन, आटा चक्की, तेल घानी, कपास ओटने की मशीन, जीप आदि और सुधरे हुए कृषि यंत्र जैसे ट्रेक्टर, यंत्रीकृत हल, पम्प आदि खरीदने अथवा किराये पर लेने को सक्षम होगी।

(ब) ऐसे यंत्र केवल शासन से प्राप्त ऋण एवं सहायक अनुदानों द्वारा, जन सोसाइटियों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त चंदे, अथवा स्वतंत्र अनुदानों के द्वारा अथवा इस आशय के लिये सदस्यों से एकत्रित की गई अमानतों अथवा अन्य निधियों के द्वारा ही खरीद किये जा सकेंगे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि सोसाइटी के पास अतिरिक्त निधियां हों, तो वह रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से इस आशय के लिये अपनी कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक धन लगा सकेगी।

(स) बोर्ड/कमेटी ऐसे सहायक नियम व उनके अधीन शर्तें बनायेगी, जिसके अंतर्गत सदस्य को ऐसे यंत्र किराये पर दिये जा सकेंगे।

4.(ग्यारह) बीज भण्डार :-

(अ) सदस्यों को सुधरे प्रकार के बीज का कोष बनाने में सुविधा पहुंचाने के लिये बोर्ड/कमेटी एक बीज भण्डार चलाने की व्यवस्था करेगी, जिससे ऐसे सदस्यों को जिन्हें आवश्यकता हो, बीज ऋण के रूप में बोने के लिये दिया जा सके। बीज सदस्यों से अंशदान के रूप में दिये जावेंगे और ऋण लेने वालों को ऐसी शर्तो के अधीन जो बोर्ड/कमेटी द्वारा व रजिस्ट्रार के सामान्य आदेशों के पालन में निर्मित नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो, ऋण के रूप में दिये जायेंगे।

(ब) सोसाइटी बीज के सुरक्षित भण्डार के लिये ऐसे समुचित गोदाम का निर्माण करेगी अथवा किराये पर लेगी जिसमें कीड़े-मकोड़े से बीजों को हानि न पहुंच सके।

4.(बारह) पशुओं की नस्ल सुधारना :-

(अ) बोर्ड/कमेटी नस्ल सुधार के लिये अच्छी नस्ल के सांड, मुर्गे, मुर्गियां आदि प्राप्त करने अथवा खरीदने के हेतु तथा उनको कुछ चुने हुए सदस्यों के संरक्षण में रखने के हेतु सक्षम होगी।

(ब) यह देखना बोर्ड/कमेटी का कर्तव्य होगा कि ऐसे पशु तथा पक्षी उचित भोजन प्राप्त करें एवं उनका पूरा पोषण हो। उसका यह भी कर्तव्य होगा कि आवश्यकता पड़ने पर उनके चराई एवं उनके रोगग्रस्त होने की दशा में चिकित्सा की सहायता का प्रबंध करें और यह देखें कि ऐसे नस्ल सुधार के पशु पक्षी स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रखे जायें।

(स) बोर्ड/कमेटी ऐसे पशुओं को सुरक्षित रखने, उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले लिये जाने वाले शुल्क आदि के संबंध में शर्तो सहित सहायक नियम बनायेगी।

4.(तेरह) शासन की कल्याणकारी योजनायें :–

(अ) बोर्ड/कमेटी शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सोसाइटी के सदस्यों को आवश्यक ऋण उपलब्ध करायेगा। बोर्ड/कमेटी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह शासन के निर्देश पर शासन द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन करे। परन्तु इस कार्य में किसी प्रकार की हानि की संभावना हो तो सोसाइटी उक्त हानि की प्रतिपूर्ति हेतु शासन से अग्रिम धन प्राप्ति हेतु निवेदन करेगी तथा शासन से आश्वासन प्राप्त होने पर योजना का क्रियान्वयन करेगी।

4.1.सोसाइटी की सेवाएं :

सोसाइटी के उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वे सेवा या व्यावसायिक सुविधाएं जिनमें सोसाइटी अपने आप को संलिप्त कर सकती है, निम्नानुसार है :–

(1) अपने सदस्यों की सहायता के लिए कृषि पैदावार और उसके उत्पादों के लिए पश्चगामी अग्रगामी लिंकेज संबंधी कोई कार्यकलाप;

(2) कृषि उत्पादन और उसके प्रसंस्करण सदस्यों की अपेक्षित घरेलू उपभोग के आधार पर संबंधित प्राधिकारी की आवश्यक विकृति के अधीन सुविधाएं;

(3) सहायक इकाईयों के तिर आस्ति सूजन या व्यवस्था या स्थापना जो सोसाइटी और उसके सदस्यों के लिए उत्पादन एकत्रीकरण प्रसंस्करण और उत्पादन विपणन में लाभदायी हो;

(4) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सेवाओं या व्यावसायिक प्रचालनों में संलिप्तहोना, आदि;

(5) अनुसंधान प्रोत्साहन, अभिनव तकनीक का प्रदर्शन और विस्तारण कार्य (मृदा और कृषि उत्पाद परीक्षण शामिल था उससे संबद्ध कार्यकलाप;

(6) जागरुकता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकास मेला और प्रदर्शन या कोई विस्तारण संबंधी कार्य;

(7) संबंधित राज्य सरकार के आवश्यक अनुमोदन से सरकारी विभागों/विश्वविद्यालयों/स्टार्टअप्स/सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके संबद्ध बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहकार्यता सो सोसाइटी और उसके सदस्यों के लिए लाभदायी हो;

(8) जहां तक संभव हो अनलाइन तरीके से सेवाएं प्रदान करना तथा अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण;

(9) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य और अपेक्षित अन्य व्यवसाय या वित्तीय सहयोग।

उपविधि क्रमांक (5)

(अ) सदस्यता :–

(1) (क) सोसाइटी के सदस्य वे व्यक्ति होंगे, जो इन उपविधियों के पंजीकरण के समय संस्था के सदस्य थे और जो भूमि स्वामी, मौरूसी कृषक या शासकीय पट्टेदार की हैसियत से कृषि या सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए भूमि धारण करते हों।

(ख) इन उपविधियों के पंजीयन के समय कंडिका 'क' में उल्लेखित सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य नाममात्र के सदस्य माने जायेंगे।

(2) सोसाइटी का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

(1) वह सोसाइटी के कार्यक्षेत्र का निवासी हो और उसने सोसाइटी की उपविधियों को पढ़कर/सुनकर मान्य कर लिया हो।

(2) उसका आचरण अच्छा हो।

(3) उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो भारतीय विधान के अन्तर्गत अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के अल्पवय उत्तराधिकारियों के लिए आयु पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परन्तु अवयस्कों को न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे, जो इन उपविधियों में है।

(4) उसने कम से कम संस्था के एक अंश की राशि व प्रवेश शुल्क जमा कर दिया हो।

(5) वह ऐसे किसी परिवार का मुखिया या सदस्य हो, जो वैध राशन–कार्ड धारक है।

(6) वह अधिनियम की धारा 19–क के अधीन निरर्हित न हो।

(7) **नाम मात्र के सदस्य** :– सोसाइटी के साथ व्यवहारिक/व्यवसायिक संबंध रखने वाले व्यक्तियों को नाम मात्र का सदस्य

बनाया जा सकेगा। उनसे सदस्यता शुल्क रूपये 100/— प्रति व्यक्ति लेकर नाम मात्र की सदस्यता प्रदान की जा सकेगी। ऐसे सदस्य सोसाइटी के प्रबंधन/मतदान/लाभ के वितरण में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सोसाइटी के साथ सम्बन्ध रहने तक ही ऐसे व्यक्ति नाम मात्र के सदस्य रह सकेंगे।

(3) वित्त पोषक बैंक भी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये योग्य होगा।

(4) रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्राथमिक कृषि साख समिति का सदस्य इस सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकेगा।

(5) सोसाइटी की सदस्यता पाने के लिये या अंश खरीदने के लिये सोसाइटी के प्रबंधक के पास ऐसे प्रारूप में, जो सोसाइटी ने निर्धारित किया हो, आवेदन देना होगा तथा नये सदस्यों के लिये KYC अनिवार्य होगा।

(अ) ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम, नियम या उपविधि के उपबंधों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिये सम्यक् रूप से अर्हित (योग्य) हो, सोसाइटी में सदस्यता के लिये आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से सदस्यता के रूप में स्वीकृत माना जायेगा।

(ब) परन्तु रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या व्यथित व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर जो ऊपर (अ) में वर्णित तारीख से 15 दिन के भीतर किया गया हो तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार, को आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें वर्णित कारणों से सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है।

(6) राज्य शासन, यदि सोसाइटी का सदस्य बनता है, तो वह प्रवेश शुल्क जमा करने तथा सदस्य रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से मुक्त रहेगा।

(7) किसी सदस्य को संस्था में सदस्य के रूप में भर्ती किये जाने के दिन से 2 वर्ष के भीतर न तो उसके द्वारा लिये हुए अंश वापिस लेने का और न ही सदस्यता से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा। इस अवधि के पश्चात् वह बोर्ड/कमेटी की स्वीकृति से अपने अंश वापिस प्राप्त कर सकेगा अथवा सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। किन्तु प्रतिबंध यह है कि उससे संस्था का कोई ऋण लेना शेष न निकलता हो और संस्था की कोई राशि लेना अवशेष न हो, जिसका कि वह प्रतिभू (श्यूअर्टी) हो।

(8) परंतु यह भी संस्था की कुल अंश पूंजी के 1/10 भाग से अधिक की अंशपूंजी की वापिसी एक सहकारी वर्ष में नही की जा सकेगी। सदस्यता समाप्ति आवेदन स्वीकार कर अंश पूंजी वापिसी करते समय इस शर्त का पालन अनिवार्य होगा। अंश पूंजी की आधार गणना गत 31 मार्च तक संस्था की अंशपूंजी से होगा। यह भी कि अंश पूंजी

वापिसी के समय यदि संस्था हानिमें है तो अंश पूंजी वापिसी में सदस्य के दायित्व तक हानि का समायोजन अंश से करने के बाद शेष राशि वापिस की जा सकेगी।

(9) प्रत्येक सदस्य को रूपये 5/– प्रवेश शुल्क जमा करना होगा तथा कम से कम एक अंश क्रय करना और सदस्यों के रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करना या हस्ताक्षर न कर पाने की स्थिति में अंगूठा निशानी लगाना आवश्यक होगा। किन्तु राज्य शासन तथा वित्त पोषक बैंक को सदस्य होने पर प्रवेश शुल्क जमा करने एवं सदस्यों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से छूट रहेगी।

(ब) सदस्यता पंजी :–

सोसाइटी अपने सदस्यों की एक पंजी रखेगी, उसमें निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेगी :–

(1) सदस्यता क्रमांक प्रथमवार अंश पूंजी जमा होने का दिनांक।

(2) सदस्यता प्रदान करने का संकल्प एवं दिनांक।

(3) सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता, उसकी आजीविका का साधन।

(4) सदस्य का वर्ग, अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य तथा महिला या पुरूष।

(5) सदस्य के उत्तराधिकारी नामांकित व्यक्ति का नाम तथा दो साक्षियों द्वारा पुष्टि के हस्ताक्षर।

(6) सदस्य द्वारा उत्तराधिकारी के नामांकन का दिनांक।

(7) सदस्य द्वारा धारित अंश एवं कुल अंशपूंजी।

(8) सदस्य के हस्ताक्षर।

(9) सदस्यता समाप्ति का संकल्प/आदेश क्रमांक एवं दिनांक।

(10) सदस्य का अन्य आवश्यक विवरण जैसे स्वर्गवास होने पर मृत्यु दिनांक आदि।

(स) सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु प्रक्रिया :–

आरंभ में सदस्य वे व्यक्ति होंगे, जिन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया हो, उसके बाद नये सदस्य बोर्ड/कमेटी की स्वीकृति से सम्मिलित किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी:–

(1) सोसाइटी की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन पत्र को अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। उक्त पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि बोर्ड/कमेटी की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुए सभी सदस्यता संबंधी आवेदन पत्रों को बोर्ड/कमेटी के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें, जिन पर बोर्ड/कमेटी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेगा। सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाला व्यक्ति सदस्यता के

आवेदन प्राप्ति के दिनांक से ही सोसाइटी का सदस्य माना जायेगा। सदस्यता प्रदान करने में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसका निराकरण किया जायेगा।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम के उपबंधों तथा सोसाइटी की उप–विधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित हो, सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो सोसाइटी के बोर्ड के लिये, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने की बाध्यता होगी:

यदि किसी सोसाइटी का बोर्ड, पूर्वोक्त आवेदन पत्र पर उपरोक्तानुसार विहित अवधि के भीतर विनिश्चय करने में विफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है :

परन्तु रजिस्ट्रार, या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिस पर रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालिस दिन के भीतर, आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेश में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है।''

(3) सोसाइटी द्वारा सदस्यता आवेदन रजिस्टर तथा सदस्यता रजिस्टर के रूप में दो पृथक–पृथक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। प्रथम रजिस्टर में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि किया जायेगा तथा दूसरी रजिस्टर (सदस्यता रजिस्टर) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टियां अंकित किया जायेगा। इन दोनों रजिस्टर में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही किया जायेगा और किसी भी स्थिति में इनका कोई अपवाद नहीं होगा।

(4) सदस्य बनाए जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 5/– रूपये प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं हुआ तो प्रवेश शुल्क वापस किया जायेगा।

(5) **नामांकन :–** प्रत्येक सदस्य को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा और उसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा, जिसको सदस्य की मृत्यु पर उसकी यदि कोई रकम सोसाइटी में जमा हो, तो वापस दी जा सके अथवा उसका नाम परिवर्तन किया जा सके। उत्तराधिकारी का मनोनयन और बाद में उसमें परिवर्तन दो साक्षियों के समक्ष लिखे जायेंगे।

उपविधि क्रमांक (6)
सदस्य बने रहने के लिए निर्बन्धन एवं शर्तें :–

सदस्यता जारी रखने के लिए शर्तें निम्नानुसार हैं :–

(1) सोसाइटी की बोर्ड/कमेटी अथवा रजिस्ट्रार द्वारा विधि अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

(2) सोसाइटी के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना होगा।

(3) सोसाइटी को अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करना होगा।

(4) सदस्यता की पात्रता सदैव ही बनाए रखना होगा।

उपविधि क्रमांक (7)

संभावित सदस्यों के लिए समय–सीमा :–

ऐसा संभावित सदस्य जिनकी सदस्यता आवेदन पत्र बोर्ड/कमेटी द्वारा अस्वीकृत किये जाने से सदस्यता हेतु अपील रजिस्ट्रार के पास विचाराधीन हो, संभावित सदस्य के पक्ष में होने के दिनांक से, अधिकतम एक माह में सदस्यता हेतु आवश्यक प्रवेश शुल्क, अंश राशि एवं आवेदन पत्र सोसाइटी में जमा करायेगा, तभी वह सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों का पात्र होगा।

उपविधि क्रमांक (8)

सदस्यता प्रत्याहरण/अन्तरण के लिये प्रक्रिया :–

(1) सोसाइटी का कोई भी सदस्य लिखित में आवेदन देकर अपनी सदस्यता प्रत्याहरण (वापसी) हेतु निवेदन कर सकेगा, किन्तु ऐसे त्यागपत्र के साथ सदस्य का वचन पत्र, जिसमें उसके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्यागपत्र सोसाइटी के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसे प्रबंधक को सौंपा जा सकेगा। सोसाइटी की बोर्ड/कमेटी ऐसे सभी आवेदनों पर विचार कर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा, त्यागपत्र स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगी। यदि त्यागपत्र अस्वीकृत किया जाता है, तो उसके कारण अभिलिखित करना अनिवार्य होगा।

(2) किसी भी सदस्य को अपने सदस्यता अंशराशि या हित किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न किया जा चुका हो और जब तक ऐसा अन्तरण उस सोसाइटी को या उसके किसी अन्य सदस्य को न किया जाये एवं वह अंतरण बोर्ड/कमेटी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये। हस्तांतरण हेतु अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए आवेदन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक को प्रदान

किया जा सकता है, प्रबंधक ऐसे सभी आवेदन को बोर्ड/कमेटी के निर्णय हेतु बोर्ड/कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगा। जब तक सदस्यता अंश का हस्तांतरण सोसाइटी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, उस समय तक जिसके नाम पर हस्तांतरण होगा, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। बोर्ड/कमेटी द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकतम 15 दिवस में हस्तांतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाहियां सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

उपविधि क्रमांक (9)

(क) सदस्यता से हटाना :–

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित बोर्ड/कमेटी की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित कारणों में से किन्हीं कारणों से सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा :–

(1) कोई ऐसा कार्य जिससे कि सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो, या जिससे उनकी कुख्याति होने की संभावना हो, आशय करता है, या

(2) मिथ्या कथन द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर धोखा देता है, या

(3) कोई ऐसा कारोबार करता है, जिससे यह संभावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किये जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वंद्विता में आता हो, या

(4) अपने द्वारा देय धन का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है,

(5) यदि उसने सदस्य बनने के बाद, सदस्यों हेतु आवश्यक अर्हताओं में से किसी एक को भी खो दिया हो। परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा, जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना, को सात दिवस की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में सोसाइटी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कारणों से अधिनियम की धारा 19–ग के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकेगा।

(ख) सदस्यता की समाप्ति :–

(1) निम्नलिखित में से किसी भी एक कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी :–

(1) मृत्यु हो जाने पर।
(2) स्थायी रूप से विक्षिप्त हो जाने पर।
(3) उपविधि क्रमांक–09 के अनुसार त्यागपत्र स्वीकृत होने पर।

(4) उसके द्वारा धारित अंश किसी और को स्थानांतरित हो जाने पर या अंशधारी सदस्य नहीं रह जाने पर।

(5) उपविधि क्रमांक 10(क) के अनुसार निष्कासित किये जाने पर।

(2) किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर सोसाइटी देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया राशि के समायोजन के बाद एक वर्ष की अवधि में कर देगी।

(3) सदस्य की मृत्यु की दशा में सोसाइटी में उसके अंशों या जमा राशि में से उससे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में बोर्ड/कमेटी के निर्णय अनुसार ऐसे व्यक्ति को, जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त राशि को प्राप्त करने का अधिकार हो, को वचन पत्र भरने पर भुगतान की जायेगी।

उपविधि क्रमांक (10)

सदस्यों के अधिकार ::–

सोसाइटी के सदस्यों को अधिनियम की धारा 28 के उपबंधों के अनुसार सोसाइटी की पुस्तकें और अभिलेखों की जानकारी लेने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित अधिकार होंगे:–

(1) सोसाइटी द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार।

(2) लेखा पुस्तकें देखने का अधिकार।

(3) अपने में से सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी के सदस्य को मत देकर चुनने का अधिकार।

(4) उपविधियों/नियमों/अधिनियम अनुसार सोसाइटी की साधारण सम्मिलन/सभा में भाग लेने का अधिकार।

(5) सोसाइटी की गतिविधि एवं उसकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।

(6) सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, तो उसकी सूचना अध्यक्ष या प्रबंधक को देने का अधिकार।

(7) सोसाइटी के किसी अन्य सदस्य द्वारा सोसाइटी के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उसकी सूचना सोसाइटी के अध्यक्ष को देने का अधिकार।

(8) सदस्यता से त्यागपत्र देकर अपनी अंश राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार सदस्यों को होगा। सदस्य की ओर बकाया किसी भी प्रकार की राशि को अंश राशि से घटाकर शेष अंश राशि को वह सोसाइटी से प्राप्त कर सकेगा।

(9) नामांकन का अधिकार।

(10) सोसाइटी के अन्य सदस्यों अथवा ऐसे व्यक्ति, जिसे सदस्य बनाये जाने की स्वीकृति सोसाइटी द्वारा प्रदान की जा चुकी है, को अपना अंश हस्तांतरण करने का अधिकार।

सदस्यों के कर्तव्य ::—

1. सोसाइटी की सदस्यता में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक सदस्य को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह उपविधियों के प्रावधानों को पढ़कर समझ चुका है और वह सोसाइटी की उपविधियों, अधिनियम व नियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्यता के अधीन है।
2. ऐसा सदस्य जो रजिस्ट्रीकरण आवेदन के साथ ही सदस्यता प्राप्त करता हो, को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के एक माह के अंदर ऐसे घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेगा।
3. किसी सदस्य द्वारा जब तक सदस्यता के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह उपर्युक्त संदर्भित घोषणापत्र पर हस्ताक्षर न कर दे और उसके द्वारा प्रवेश शुल्क तथा अभिदत्त अंशपूंजी के सम्पूर्ण मूल्य का संदाय न कर दिया जाए।
4. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऋण देने वाली सोसाइटी का सदस्य बन जाता है तो उसे छ.ग. सहकारी सोसाइटी नियम 1962, नियम 26 के प्रावधानों के अंतर्गत प्ररूप ''च'' में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आव यक होगा।

उपविधि क्रमांक (11)

(अ) सदस्यता के अधिकार (मत देने के अधिकार सहित) का प्रयोग करने हेतु पात्रता बनाये रखने के लिए सदस्यों की न्यूनतम प्रतिबद्धताएं :—

सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की सदस्यता बनाये रखने व मत देने के लिए पात्रता धारण करने के लिए निम्न शर्तों का पालन आवश्यक होगाः—

(1) सोसाइटी के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जा रहे कार्य /कार्यवाहियों के संचालन में सोसाइटी के पदाधिकारियों/अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(2) सहकारी सिद्धान्तों का पालन करना।

(3) सदस्यों के लिए निर्मित आचार संहिता का पालन करना।

(4) सोसाइटी के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय प्रारंभ न करना जिससे सोसाइटी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(5) सोसाइटी द्वारा उसे जिन शर्तों पर सेवाएं आदि प्रदान की गई हो, उनका पालन करना।

(6) सोसाइटी के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसके पदाधिकारियों/ अधिकारियों द्वारा दिये गये विधि सम्मत निर्देशों का पालन करना तथा सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में भाग लेना।

(7) सोसाइटी के पक्ष में उसकी देयताओं को समय पर पूर्ण करना।

(ब) सदस्यता के अधिकार (मत देने के अधिकार सहित) का प्रयोग करने हेतु पात्रता बनाये रखने के लिए सदस्यों के लिए न्यूनतम सेवा का स्तर :–

सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रुप में, निर्वाचन हेतु अर्हित नहीं होगा और न ही उसे बोर्ड के सदस्य, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के किसी निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होगा, जब तक कि उसने सोसाइटी से कम से कम एक बार ऋण नहीं लिया हो।''

उपविधि क्रमांक (12)

सदस्यों का शिक्षण/प्रशिक्षणः–

सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने बजट में सदस्यों, जिनमें पदाधिकारी भी शामिल होंगे और अधिकारियों/कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान करेगी। सोसाइटी द्वारा सदस्यों को सहकारिता मूल्यों, सिद्धांतो और उनके अधिकार तथा कर्तव्य व सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं/सुविधाओं के के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपविधि क्रमांक (13)

सदस्य द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम का परिणाम :–

किसी सदस्य द्वारा इस सोसाइटी या अन्य किसी सोसाइटी से शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप निम्न बिन्दु प्रभावशील होंगेः–

(1) यदि व्यतिक्रम की अवधि 12 माह से अधिक होगी, तब सदस्य अपने मत का प्रयोग, बोर्ड/कमेटी (यदि वह बोर्ड/कमेटी में पदाधिकारी/सदस्य के रूप में कार्यरत है) अथवा साधारण सम्मिलन/सभा, विशेष साधारण सम्मिलन/सभा या सोसाइटी के कार्यों संबंधी बैठक में, करने के लिए योग्य नहीं रहेगा अर्थात् अयोग्य हो जायेगा और न ही बोर्ड/कमेटी का सदस्य अथवा सोसाइटी द्वारा अन्य सोसाइटियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए पात्र रह जायेगा।

(2) यदि व्यतिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाती है तथा सदस्य सोसाइटी को रकम जमा कराने की अवधि बढ़ाने का कोई तथ्यपूर्ण व व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं करता है, तब सोसाइटी, अधिनियम अथवा नियमों के अनुसार रकम वसूल करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (14)

अधिकृत अंशपूंजी :—

सोसाइटी की अधिकृत अंशपूंजी एक करोड़ (1,00,00,000/—) रूपये होगी। इस अधिकृत अंशपूंजी में कमी अथवा वृद्धि साधारण सम्मिलन/सभा के ठहराव से सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बाद किया जायेगा। अंशपूंजी निम्न प्रकार विभक्त रहेगी:—

(1) रूपये 85,00,000/— के 85,000 अंश ''क'' वर्ग में होंगे, जो व्यक्तिगत सदस्यों को दिये जायेंगे। प्रत्येक अंश का मूल्य रूपये 100/— होगा।

(2) रूपये 5,00,000/— के 5,000 अंश ''ख'' वर्ग में होंगे, जो नाम मात्र के सदस्य को दिया जायेगा। प्रत्येक अंश का मूल्य रूपये 100/— होगा।

(3) रूपये 10,00,000/— के 200 अंश ''ग'' वर्ग में होंगे, जो राज्य शासन को दिया जायेगा। प्रत्येक अंश का मूल्य रूपये 5,000/— होगा।

उपविधि क्रमांक (15)

सदस्यों का अंश :—

(1) प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना आवश्यक होगा। कोई सदस्य उस समय तक बिके हुए अंशों की वसूली आई हुई रकम के 1/5 या 20,000/—रूपये जो भी कम हो मूल्य के अंश ले सकेगा। यदि किसी मृत सदस्य का उत्तराधिकारी होने से अथवा अन्य किसी कारण से किसी के पास इस सीमा से अधिक मूल्य के अंश हो जाये तो बोर्ड/कमेटी को अधिकार होगा कि वह अधिक अंश अन्य सदस्यों को बेच दें तथा इससे प्राप्त रकम को उस सदस्य के नाम से जमा कर लें, परंतु उपरोक्त सीमा राज्य शासन द्वारा लिये गये अंशपूंजी के लिये लागू नहीं होगी।

(2) एक अंश का मूल्य रूपये **100/—** होगा और सदस्य को उसके द्वारा लिए गए अंशों का पूरा मूल्य एक साथ जमा करना होगा।

(3) सोसाइटी से ऋण लेने वाले सदस्य को सोसाइटी से प्राप्त ऋण के लिये उसके 10 प्रतिशत राशि के बराबर रू. 100/— के एक अंश के मान से अंश खरीदना जरूरी होगा। परन्तु सोसाइटी यह प्रयत्न करेगी कि प्रत्येक सदस्य से उसकी स्वतः की दो एकड़ भूमि पर एक अंश के हिसाब से अंशपूंजी एकत्र की जावे, 5 वर्ष के अंत में प्रत्येक सदस्य को अपने ऋण के 20 प्रतिशत तक अंशपूंजी देना होगा। परन्तु दीर्घावधि ऋण के लिये अंशपूंजी की सीमा 5 प्रतिशत रहेगी। अंशों के मूल्य का 3 वार्षिक आंशिकाओं में भुगतान किया जा सकेगा। परन्तु कोई सदस्य यदि चाहे तो अंशों का मूल्य का एक मुश्त भुगतान करने को स्वतंत्र होगा। यदि ऐसा अंश की अंशिका 6 माह से अधिक की अवधि के लिये चूक करता है तो उसकी जमा अंशपूंजी को जप्त कर लिया जायेगा, जो सोसाइटी की सम्पत्ति हो जायेगी। ऐसे अंशों का

नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि उसके ऐसी जब्ती की संसूचना को 30 दिवस के अंदर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि अदा कर दी जावे। जब्त धन रक्षित निधि में जमा होगा।

(4) सोसाइटी में शासन की अंशपूंजी वेष्ठित होने पर सोसाइटी अपनी साधारण अंशपूंजी मोचन निधि में अपने वर्ष के शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अंतरित करेगी।

उपविधि क्रमांक (16)

अंश प्रमाण–पत्र व हस्तांतरण :–

(1) एक अंश प्रमाण–पत्र अंश अथवा अंशों के लिए दिया जायेगा, जिस पर सोसाइटी के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे और सोसाइटी की मुद्रा लगाई जायेगी। कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद बोर्ड/कमेटी की स्वीकृति से किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे सदस्य बनाना समिति ने स्वीकृत किया हो, हस्तांतरित कर सकता है।

(2) किसी भी हिस्से की बिक्री, उपहार, बन्धक या अन्य किसी प्रकार से तब तक हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसकी पूरी रकम प्राप्त न हो जाये और हिस्से लेने के संबंध में उपविधि में निर्धारित अधिकतम सीमा संबंधी शर्तें पूरी न की जाये।

(3) यदि किसी सदस्य के पास दान स्वरूप "अन्य किसी प्रकार से उपविधि में स्वीकृत अधिकतम संख्या से अधिक हिस्से हो जावे तो बोर्ड/कमेटी को यह शक्ति होगी कि वह इन अतिरिक्त हिस्सों को बेच दे या सोसाइटी की ओर से इन्हें खरीद ले और इससे प्राप्त रकम को उस सदस्य के नाम से जमा कर ले।

उपविधि क्रमांक (17)

अंशों की राशि तथा अमानत राशि की वापसी :–

उस सदस्य को जिसकी सदस्यता सोसाइटी के उपविधि 9(क) अथवा 9(ख) के अनुसार समाप्त की गई हो, उसके अंश के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम सहकारी सोसाइटी नियमों के अनुसार बोर्ड/कमेटी निश्चित करे तथा उनकी जमा की हुई रकम से अधिक न हो, छः मास के भीतर वापस दी जायेगी। यह रकम उस रकम को घटाकर जो उससे सोसाइटी को लेनी हो, वापस दी जायेगी, परन्तु किसी वर्ष में पिछले 31 मार्च पर अंशों की रकम जो जमा हो, उसके 1/10 से अधिक रकम इस प्रकार वापस नहीं की जायेगी।

उपविधि क्रमांक (18)

सदस्य का दायित्व :–

सदस्य का दायित्व सोसाइटी द्वारा उसको प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित रहेगा, किन्तु जो सोसाइटी से ऋण अथवा अमानतें आदि लें, ऐसे सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के दर्शनी मूल्य के दस गुने सीमित रहेगा। राज्य शासन व नाम मात्र सदस्यों का दायित्व खरीदे गये हिस्सों के मूल्य तक रहेगा।

उपविधि क्रमांक (19)

पूंजी व निधियां :–

(क) सोसाइटी की पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी :–

(1) प्रवेश शुल्क द्वारा।
(2) अंश निर्गमन द्वारा।
(3) अमानतें या अग्रिम धन लेकर।
(4) सहकारी बैंक अथवा रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर।
(5) दान, अनुदान, चंदा आदि लेकर।
(6) शासन तथा स्थानीय संस्थाओं से स्वीकृत ऋणों के द्वारा।
(7) लाभ में से रक्षित निधि बनाकर आदि।

(ख) रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बिना ऋण तथा अमानत की रकम, अंश की वसूल की हुई रकम तथा रक्षित निधि के 100 गुना से अधिक नहीं होगी। सोसाइटी की पूंजी उपविधि 3 में उल्लिखित कार्यों में लगाई जायेगी।

(ग) सदस्यों से ऋण और जमा रकमें उस सीमा और उन शर्तों के अधीन ली जायेगी, जो रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटीज द्वारा निर्धारित किया जाये। इस ऋण में वह रकम सम्मिलित नहीं होगी, जो सोसाइटी द्वारा कच्चा माल या उत्पादित माल को रहन रखकर बैंकों से उधार ली गयी हो।

(घ) सोसाइटी राज्य सरकार, राज्य शासन में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निगमों, निगमित निकायों और व्यक्ति से निक्षेप व उधार प्राप्त कर सकेगी। नाम मात्र की सदस्यता प्रदान कर विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी तथा किसी अन्य सोसाइटी को उधार दे सकेगी।

उपविधि क्रमांक (20)

निधियों का उपयोग :–

सोसाइटी की पूंजी तथा निधियों का उपयोग उपविधि क्रमांक–3 में दर्शित उद्देश्यों की प्राप्ति तक ही सीमित रहेगा, परन्तु यह भी कि जो निधि जिस कार्य के लिये निर्धारित होगी उसी में व्यय की जा सकेगी, उसका उपयोग परिवर्तन केवल आमसभा द्वारा पारित संकल्प तथा रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से ही हो सकेगा।

उपविधि क्रमांक (21)

निक्षेप, ऋण–पत्र एवं अन्य निधियां –सीमा व शर्तें :–

(1) सोसाइटी अपनी प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के बाद बची राशि से अधिकतम 100 गुना तक निक्षेप, ऋण, ऋण–पत्रों के माध्यम से निधियां, सदस्यों/असदस्यों/वित्तीय संस्थानों/शासन से प्राप्त कर सकेगी। जिनके लिए शर्तें बोर्ड/कमेटी द्वारा साधारण सम्मिलन/सभा में अनुमोदन उपरान्त तय किया जायेगा। सोसाइटी द्वारा ऋण एवं अमानतों के लिए अलग से रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें आवश्यक प्रविष्टियां की जायेगी तथा इसकी जानकारी साधारण सम्मिलन/सभा में भी सदस्यों को दी जायेगी।

(2) सोसाइटी वित्तदायी संस्था की शर्तों एवं रजिस्ट्रार के अनुमोदित शर्तों के अधीन निक्षेप एवं अन्य निधियां प्राप्त कर सकेगी।

(3) ऋण एवं ऋण पत्रों के द्वारा वित्तदायी बैंक एवं रजिस्ट्रार के द्वारा निर्धारित
सीमा में ऋण एवं ऋण पत्र के रूप में निधि प्राप्त कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (22)

राज्य सहायता एवं वित्तीय संस्थानों से सहायता, प्रयोजन एवं शर्तें :–

सोसाइटी समय–समय पर आवश्यकता अनुसार विभिन्न शासकीय/अशासकीय योजनाओं के माध्यम से उपलब्धता के अनुसार सहायता (अनुदान आदि) प्राप्त कर सकेगी, इस प्रकार से प्राप्त निधियों का उपयोग सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियों के संचालन में किया जायेगा। बोर्ड/कमेटी द्वारा इस संबंध में आवश्यक शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

उपविधि क्रमांक (23)

लाभ अथवा अधिशेष का व्ययन :–

निधियों का सृजन तथा शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम की धारा 43 तथा 43–ग के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। साधारण

सम्मिलन/सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(1) कम से कम 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि में स्थानांतरित की जायेगी, जिसको बैंक में पृथक खाते में जमा किया जावेगा तथा उस पर प्राप्त ब्याज को आय न मानकर, निधि में वृद्धि माना जावेगा तथा इसका व्यय किसी भी कार्य के लिये नहीं हो सकेगा।

(2) शेष राशि में से 10 प्रतिशत कृषि साख स्थिरीकरण निधि तथा 10 प्रतिशत भवन निधि में अन्तरित किया जायेगा।

(3) विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुरूप अनर्जक अस्तियों हेतु अपेक्षित शत–प्रतिशत प्रावधान कर लेने के पश्चात् ही शेष राशि में से 25 प्रतिशत तक लाभांश का वितरण अंशधारियों को साधारण सम्मिलन/ सभा के अनुमोदन उपरान्त किया जा सकेगा।

(4) उपरोक्त के उपरान्त ही शेष धन में से 10 प्रतिशत विकास निधि में अन्तरित करने के पश्चात् सोसाइटी के कर्मचारियों को बोनस एक्ट, 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस दिया जा सकेगा। किन्तु कर्मचारियों को बोनस/एक्सग्रेसिया का संदाय सोसाइटी में लागू सेवानियम के प्रावधान के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) बाकी रकम रक्षित निधि में या अन्य किसी निधि में साधारण सम्मिलन/सभा के निर्णयानुसार या सोसाइटी के सदस्यों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यों हेतु उपयोग या इस हेतु निर्मित निधि में जमा की जा सकेगी।

नोट– हस्तांतरित किए हुए अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर रजिस्टर में अंकित हों।

उपविधि क्रमांक (24)

निधियां/कोषों का गठन और उनका प्रयोजन :–

(1) सोसाइटी निम्नलिखित निधियों का निर्माण अपनी आय से अनिवार्यतः करेगी–

(1) डूबन्त संदिग्ध ऋण निधि।
(2) मूल्य उतार चढ़ाव निधि।
(3) भवन निधि।
(4) विकास निधि।
(5) अतिदेय ब्याज निधि।
(6) अवक्षयण निधि।
(7) कल्याण निधि।
(8) अंशपूंजी मोचन निधि।
(9) शिक्षण प्रशिक्षण निधि।

इन निधियों का व्ययन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित नियमों के अध्यधीन उसी प्रयोजन के लिये नियत सीमा तक किया जा सकेगा।

(2) सोसाइटी अपने गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सदस्यों /असदस्यों आदि के उत्थान एवं कल्याण के लिए कल्याण कोषों का गठन कर सकेगी। इस हेतु राशि उपविधियों के अनुसार उपयोग की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (25)

साधारण/विशेष साधारण सम्मिलन/सभा बुलाने की रीति व गणपूर्ति :–

(1) सोसाइटी के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे, वार्षिक साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः माह के अन्दर आहूत की जायेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो बोर्ड/कमेटी के प्रस्ताव अथवा सोसाइटी के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित आवेदन पत्र पर, जिसमें साधारण सम्मिलन/सभा के बुलाने के उद्देश्य हों अथवा रजिस्ट्रार के आदेश पर विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जायेगी। सोसाइटी के पंजीयन के पश्चात् सदस्यों की जो प्रथम साधारण सम्मिलन/सभा होगी, उसको भी वही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक साधारण सम्मिलन/सभा को दिए गए हैं।

(2) **बैठक की सूचना–** साधारण सम्मिलन/सभा की कार्यसूची, दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट 14 दिवस पूर्व दी जायेगी, उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी। साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन की सूचना अधिनियम/नियम के प्रावधान अनुसार दी जावेगी।

परन्तु जब जिले में सोसाइटियों के किसी भी वर्ग का साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मेलन उसी दिवस होना हो तो ऐसी सूचना संबंधित सोसाइटी द्वारा प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण–पत्र के अधीन भेजी जायेगी, साथ ही ऐसी समस्त सोसाइटियों की ओर से रजिस्ट्रार के प्राधिकार के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक सूचना का प्रकाशन किया जाना पर्याप्त होगा।

(3) **गणपूर्ति/कोरम :–** साधारण सम्मिलन/सभा या विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी। साधारण सम्मिलन/सभा या विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की सूचना जारी करने के दिनांक को सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 50 सदस्यों में से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा। यदि बैठक के लिए नियत समय के आधा घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो, तो जब तक कि बैठक बुलाए जाने की सूचना पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो, अध्यक्ष द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिए स्थगित कर दी जायेगी जैसा कि वह घोषित करे। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित बैठक

में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जायेगी, परन्तु साधारण सम्मिलन/सभा अथवा विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाई गई हो, स्थगित नहीं की जायेगी, परन्तु विघटित कर दी जायेगी।

उपविधि क्रमांक (26)
साधारण सम्मिलनों की आवृत्ति :–

वार्षिक साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर आहूत की जायेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो बोर्ड/कमेटी के प्रस्ताव अथवा सोसाइटी के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें साधारण सम्मिलन/सभा बुलाने की मांग की गई हो अथवा रजिस्ट्रार के आदेश पर विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जा सकती है।

उपविधि क्रमांक (27)

साधारण सम्मिलन/सभा में मताधिकार :–

साधारण सम्मिलन/सभा में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को चाहे उसके कितने ही अंश क्यों न हो, केवल एक मत देने का अधिकार होगा। कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उन मामलों के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, उसके अंतर्गत नियम या सोसाइटी की उपविधियों में विशेष बहुमत से होगा, दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। सोसाइटी की बोर्ड/कमेटी का निर्वाचन अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान अनुसार होगा, परन्तु निर्वाचन के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से, जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाये, सम्पन्न होगी।

उपविधि क्रमांक (28)

साधारण सम्मिलन/सभा के विषय :–

साधारण सम्मिलन/सभा के विषय अधिनियम/नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होंगे। साधारण सम्मिलन/सभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत से कोई सदस्य कार्य सूची में न किया हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाले जाने अथवा निकाले हुए सदस्यों को फिर से भर्ती करने अथवा इन उपविधियों में

संशोधन करने के संबंध में अथवा ब्याज व पारिश्रमिक की दरों में घट–बढ़ करने के बारे में नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक (29)

साधारण सम्मिलन/सभा की अध्यक्षता :–

सोसाइटी का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हो तो बोर्ड के अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें, साधारण/विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की अध्यक्षता करेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में जब कि अधिनियम की धारा 49(8) के तहत् रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी का कार्यभार संभाल लिया गया हो, अथवा धारा 53 की उपधारा (1) के तहत् निर्वाचित बोर्ड/कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया गया हो, साधारण सम्मिलन/सभा की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

उपविधि क्रमांक (30)

साधारण सम्मिलन/सभा के कर्त्तव्य एवं अधिकार :–

वार्षिक साधारण सम्मिलन/सभा में उन कार्य के अतिरिक्त जो इन उपविधियों, के अनुसार प्रस्तुत हों निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(1) इन उपविधियों के अनुसार बोर्ड/कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन कराना।

(2) वार्षिक पत्रक और उनसे संबंधित समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।

(3) अधिनियम के प्रावधान अनुसार शुद्ध लाभ का विभाजन, अंशों पर लाभांश घोषित करना।

(4) सोसाइटी का वार्षिक बजट तथा विकास कार्ययोजना/कार्यक्रम स्वीकृत करना।

(5) यह निश्चित करना कि अमानतें/ऋण, कितना किस अवधि के लिए और किस ब्याज दर पर लिया जाए।

(6) सोसाइटी के संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति बाबत् निर्णय करना, संपरीक्षण एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन करनातथा निरीक्षण टीप पर बोर्ड/कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करते हुए आवश्यकतानुसार उचित निर्देश देना।

(7) सोसाइटी के कार्य संचालन के लिये उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना तथा अधिनियम की धारा 43–ख अन्तर्गत घाटे के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारा करना।

(8) बोर्ड/कमेटी के सदस्यों पर बकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत कराना/होना।

(9) अन्य बातों पर विचार करना जो बोर्ड/कमेटी या सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किये जाये।

(10) गत साधारण सम्मिलन/सभा की कार्यवाहियों की पुष्टि करना।
(11) सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाना।

उपविधि क्रमांक (31)

कतिपय परिस्थितियों में सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी के सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से हटाने का साधारण सम्मिलन/सभा का अधिकार–

सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी के किसी भी निर्वाचित सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से साधारण सम्मिलन/सभा अथवा विशेष साधारण सम्मिलन/सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकेगा। बोर्ड/कमेटी का कोई सदस्य जिसका कृत्य सोसाइटी के हितों के विपरीत है, ऐसे सदस्य को साधारण सम्मिलन/सभा स्वप्रेरणा से अथवा रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में की गयी जांच में दोषी पाये जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर धारित पद से हटाने की कार्यवाही तत्संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा विहित रीति से करेगी। परंतु बोर्ड/कमेटी के सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से हटाने का कोई भी निर्णय संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही पारित किया जायेगा। बोर्ड/कमेटी के किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से हटाने संबंधी संकल्प संबंधित बोर्ड/कमेटी के सदस्य के द्वारा पदभार ग्रहण के अथवा तत्संबंधी पूर्व में लाये गये प्रस्ताव के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने के, जैसी भी स्थिति हो, के एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् ही लाया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक (32)

उपविधि के बनाने/संशोधन करने की रीति :–

(1) सोसाइटी के गठन के समय प्रस्तुत उपविधियाँ उप/सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्रीकरण उपरांत लागू होगी। तदोपरांत सिवाय साधारण सम्मिलन/सभा अथवा विशेष साधारण सम्मिलन/सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। सम्मेलन/सभा बुलाने के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जायेगा, और सूचना पत्र कम से कम 14 दिवस पहले दिया जायेगा। ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि रजिस्ट्रार उसको स्वीकृत कर उसका रजिस्ट्रीकरण न कर दे।

(2) यदि सोसाइटी, अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के प्रावधान अनुसार अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम में किये गये किसी संशोधन हेतु रजिस्ट्रार को प्रेषित करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन करेगा।

उपविधि क्रमांक (33)

निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया :–

सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी के सदस्यों/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, सहकारी बैंक अथवा अन्य सोसाइटियों में प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्यों का निर्वाचन, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिनियम एवं नियम तथा उनमें समय–समय पर हुए संशोधनों के फलस्वरूप निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

उपविधि क्रमांक (34)

बोर्ड/कमेटी का गठन :–

(1) सोसाइटी के कार्य संचालन के लिए एक **बोर्ड/कमेटी** गठित की जायेगी, इसमें कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्यों का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा साधारण सम्मिलन/सभा में कराया जायेगा। उक्त निर्वाचित 11 सदस्यों के अतिरिक्त 3 मनोनीत सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार का प्रतिनिधि, एक सदस्य वित्तदायी संस्था का प्रतिनिधि, एक सदस्य जिले के उप/सहायक संचालक (कृषि) का प्रतिनिधि होंगे तथा सोसाइटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक पदेन सदस्य होगा। शासकीय नामिती/पदेन सदस्य सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे। अधिनियम की धारा 19–ग अन्तर्गत सदस्य का निष्कासन, धारा 49–च तथा नियम 43–क अन्तर्गत आहूत किसी पदाधिकारी को हटाने के लिए आयोजित बैठक में मतदान का अधिकार केवल निर्वाचित/सहयोजित सदस्यों को ही होगा।

(2) सोसाइटी के **बोर्ड/कमेटी** में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्षों के दो पदों में से–

(1) एक पद महिला द्वारा धारित किया जायेगा और

(2) एक पद, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो, तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जायेगा।

परंतु अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जायेगा।

(3) **सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी में दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।**

(4) सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उसकी सदस्यता के अनुपात में किया जायेगा, परन्तु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, परन्तु यह और भी कि एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्यों जिनकी संख्या अधिक है, के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(5) **प्रतिनिधि का निर्वाचन :–**

सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ–साथ अन्य सोसाइटी, जिसका कि वह सदस्य है, में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने करने के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन करेगी और ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को उक्त सोसाइटी के निर्वाचन होने तक वापिस नहीं बुला सकेगी।

(अ) यदि सोसाइटी में सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, तो ऐसा प्रतिनिधि ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्यों में से होगा।

(ब) यदि सोसाइटी में सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, तो ऐसा प्रतिनिधि ऐसे सदस्यों में से होगा।

(6) अधिनियम के प्रावधान अनुसार बोर्ड/कमेटी उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किये जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित हो, परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे।

उपविधि क्रमांक (35)

बोर्ड/कमेटी के सदस्य होने की पात्रता :–

किसी भी व्यक्ति में **बोर्ड/कमेटी** के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है :–

(1) निर्वाचन दिनांक से चार माह पूर्व से सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त कर चुका हो तथा कम से कम एक अंश का धारक हो (प्रथम **बोर्ड/कमेटी** के गठन के लिये यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी)।

(2) वह सोसाइटी में लाभ के पद पर न हो।

(3) सोसाइटी के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय न करता हो जिससे सोसाइटी के हितों पर कुठाराघात होता हो।

(4) वह सोसाइटी से लिए हुए किसी ऋण या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का डिफाल्टर न हो।

(5) केन्द्र/राज्य सरकार या सहकारी सोसाइटी की सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।

(6) अधिनियम के अनुसार संचालक मंडल में पद धारण करने के लिये अयोग्य न हो।

(7) दिवालिया या पागल न हो।

उपविधि क्रमांक (36)

बोर्ड/कमेटी के सदस्य बने रहने की शर्तें :–

कोई भी व्यक्ति बोर्ड/कमेटी का सदस्य तब तक बना रह सकता है :–

(1) जब तक वह **बोर्ड/कमेटी का सदस्य** नियुक्त होने के लिए उपविधि में लिखित अनिवार्य योग्यताएं पूर्ण करता हो।

(2) जब तक भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार अनुबंध करने योग्य हो।

(3) जब तक उसे निर्वाचित होने के बाद से किसी अयोग्यता को धारण करने के कारण **बोर्ड/कमेटी की सदस्यता** से हटा न दिया गया हो।

(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 44 में उल्लिखित निर्हताओं से ग्रस्त न हो।

उपविधि क्रमांक (37)

बोर्ड/कमेटी का कार्यकाल :–

(1) बोर्ड/कमेटी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना बोर्ड/कमेटी की प्रथम बैठक, जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी। सामान्यतः बोर्ड/कमेटी का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा।

(2) यदि बोर्ड/कमेटी का कोई सदस्य बोर्ड/कमेटी की तीन लगातार बैठकों में कोई उचित कारण बताये बिना अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी दशा में सोसाइटी का बोर्ड/कमेटी ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उनके द्वारा धारित पद से ळटाने की कार्यवाही करेगा।

उपविधि क्रमांक (38)

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं बोर्ड/कमेटी के सदस्यों **को हटाने, त्यागपत्र स्वीकृत करने और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया :–**

(1) **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/** बोर्ड के सदस्यों **को हटाने की प्रक्रिया :–**

बोर्ड/कमेटी के किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को बोर्ड/कमेटी से हटाने के लिये उनके विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव बोर्ड/कमेटी अपनी बैठक में मत देने के लिये उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से बोर्ड/कमेटी के ऐसे सदस्य या अन्य पदाधिकारियों को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकेगा तथा संबंधित सदस्यों/ पदाधिकारियों को ऐसा प्रस्ताव पारित करने के उपरांत न्यूनतम 15 दिवस की समयावधि में जवाब देने का अवसर देते हुए कारण बताओ सूचना, व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपलब्धता पर उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा सकेगा। अध्यक्ष के स्वयं ऐसे प्रकरण में शामिल होने पर उपाध्यक्ष ऐसे कारण बताओ सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा। उक्त नियत अवधि के समाप्त होने के उपरांत अथवा समयावधि में प्राप्त जवाब संतोषप्रद न पाये जाने पर बोर्ड/कमेटी द्वारा अपनी अगली बैठक में मत देने के लिए उपस्थित कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से बोर्ड/कमेटी के ऐसे सदस्य/पदाधिकारी को संचालक मंडल से हटाने का निर्णय पारित किया जा सकेगा। बोर्ड/कमेटी के किसी भी संचालक पदाधिकारी को हटाने के लिए जारी नोटिस में उन कारणों का स्पष्टतः उल्लेख किया जायेगा, जिन पर विचार उपरांत बोर्ड/कमेटी द्वारा उसे हटाये जाने की अनुशंसा की गई हो। ऐसे किसी भी पदाधिकारी/बोर्ड के सदस्य को हटाये जाने का निर्णय होने पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा बोर्ड/कमेटी द्वारा नियुक्त सदस्य के हस्ताक्षर (उसकी मुद्रा–सील) से जारी सूचना पत्र से संबंधित को व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर या रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित कर निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा। संबंधित संचालक ऐसे किसी भी निर्णय के विरूद्ध, रजिस्ट्रार के पास, उसे हटाये जाने के निर्णय के आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिनों के अंदर, अपील कर सकेगा।

(2) **त्याग–पत्र /इस्तीफा स्वीकृत करने की प्रक्रियाः–**

बोर्ड/कमेटी के किसी सदस्य द्वारा धारित पद से त्याग–पत्र दिये जाने की दशा में त्याग–पत्र/इस्तीफा दिये जाने की तारीख से दस दिवस के भीतर सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी द्वारा उस पर विचार कर निर्णय लिया जाना बंधनकारी होगा। सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि दस दिवस के भीतर त्याग–पत्र/इस्तीफा के संबंध

में कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में त्याग–पत्र/इस्तीफा स्वयमेव स्वीकृत समझा जायेगा।

(3) **रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया :–**

यदि किसी समय बोर्ड/कमेटी में किसी सदस्य का पद, सोसाइटी द्वारा अन्य सहकारी सोसाइटियों को भेजे गये प्रतिनिधि, या सोसाइटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद त्याग देने, देहावसान हो जाने या अन्यथा रिक्त हो जाता है, तो ऐसे रिक्त पद की पूर्ति इस हेतु बुलाई गई बैठक में ही की जायेगी, और ऐसी बैठक की अध्यक्षता राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति (कोरम) होना आवश्यक होगा। आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति हेतु सोसाइटी आयोग को लिखित में निवेदन करेगी, सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी में उद्‌भूत आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्य में से बोर्ड/कमेटी के सदस्यों द्वारा सहयोजन कर किया जायेगा। परंतु आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार यदि बोर्ड/कमेटी का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है तो बोर्ड/कमेटी जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्तियां उद्‌भूत हुई हैं, के संबंध में उसी वर्ग के सदस्यों से ही आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक (39)

बोर्ड/कमेटी के बैठकों/सम्मिलनों को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति (कोरम) :–

(1) बोर्ड/कमेटी का सम्मिलन आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में व अधिकृत किये जाने पर उपाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बुलाया जा सकेगा। ऐसे सूचना पत्र में बैठक/सम्मिलन का दिनांक, स्थान, समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। सूचना पत्र व्यक्तिशः तामिल कराया जायेगा या नामांकित व्यक्ति के कार्यालय पर व अशासकीय/सदस्य के निवास पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधित बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जा सकेगा। बैठक के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय के 30 मिनट व्यतीत होने पर भी कोरम न हो तो, बैठक दूसरी अन्य तारीख, समय व स्थान के लिए स्थगित कर दी जायेगी जैसा सूचना पत्र में उल्लेखित हो, अन्यथा उपस्थित सदस्य निश्चित करें।

(2) आवश्यक परिस्थिति में जबकि बोर्ड/कमेटी की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय न हो तो बोर्ड/कमेटी के सदस्यों में कागजात घुमाकर

आदेश प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कागजात घुमाकर लिये गये निर्णय को कमेटी की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

(3) **गणपूर्ति (कोरम) :–** बोर्ड/कमेटी की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) बोर्ड/कमेटी के निर्वाचित/सहयोजित सदस्यों की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक संख्या की उपस्थिति से होगी।

उपविधि क्रमांक (40)

बोर्ड/कमेटी के बैठकों/सम्मिलनों की आवृत्ति :–

बोर्ड/कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी। परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। यदि बोर्ड/कमेटी का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में बोर्ड/कमेटी की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो बोर्ड/कमेटी, उसे सुनवाई का अवसर देने के उपरांत बोर्ड/कमेटी की सदस्यता से पृथक कर सकती है। सभी प्रस्तावों का निर्णय बहुमत से किया जायेगा। दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक (41)

(अ) बोर्ड/कमेटी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

बोर्ड/कमेटी सोसाइटी के अंशधारी सदस्यों के वित्तीय हितों के रक्षार्थ सभी प्रकार की कार्यवाही वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप करेगी। बोर्ड/कमेटी के निम्नानुसार अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे :–

(1) उन प्रस्तावों का पालन करते हुए जो साधारण सम्मिलन/सभा समय–समय पर पारित करे, उसके तथा सोसाइटी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि, भवन, वाहन या अचल/चल संपत्तियां मोल लेना, प्राप्त करना, पट्टे पर लेना व अन्य संबंधित कार्य करना। उक्त कार्य बोर्ड/कमेटी के अनुमोदन उपरांत ही सम्पन्न किये जा सकेंगे।

(2) सोसाइटी के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकार व कार्य आबंटित करना, दंडित, पदोन्नत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति लेना, उनकी योग्यताएं व सेवा शर्तें निर्धारित करना एवं रजिस्ट्रार के अनुमोदन उपरांत लागू करना।

(3) साधारण सम्मिलन/सभा द्वारा स्वीकृत बजट के अंदर खर्च करना।

(4) नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, अंश स्वीकृति या अंश वापसी संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार करना और उनको स्वीकृत या अस्वीकार करना।

(5) सोसाइटी के कामकाज संबंधी शिकायतों की सूचना और उनका निराकरण करना।
(6) सोसाइटी की ओर से ऋण लेना और यह तय करना कि ऋण दस्तावेजों पर सोसाइटी की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।
(7) सदस्यों के त्यागपत्र पर विचार कर स्वीकार करना और इसी प्रकार निष्कासन पर निर्णय लेना।
(8) अमानतें प्राप्त करना।
(9) प्रबंधक के कार्यों की जांच करना और यह देखना कि सोसाइटी के हिसाब के या अन्य रजिस्टर ठीक ढंग से रखे जाते हैं।
(10) जो वैधानिक कार्यवाही या वाद सोसाइटी की ओर से या उनके किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सोसाइटी के कारोबार के संबंध में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना या वाद वापस लेना तथा सोसाइटी की ओर से पैरवी करने के लिए सोसाइटी के किसी बोर्ड के सदस्य/कर्मचारी/या बाहरी वकील को अधिकृत करना।
(11) रजिस्ट्रार एवं संपरीक्षक को सोसाइटी के निरीक्षण हेतु कागजात व रजिस्टर प्रस्तुत करना, उनके संपरीक्षण तथा निरीक्षण टीप का पालन करना, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सम्मिलन/सभा में प्रस्तुत करना।
(12) सोसाइटी का वार्षिक आय–व्यय पत्रक बनवाना और आगामी वर्ष के लिए आय–व्यय का पत्रक बनाकर साधारण सम्मिलन/सभा में प्रस्तुत करना।
(13) संपरीक्षा शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर शासकीय कोषालय में जमा करवाना।
(14) सोसाइटी की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंश क्रय करना, वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।
(15) अधिनियम की धारा 44 के अनुसार निधियों का विनियोजन कराना। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से विनियोजन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति व व्यय नीति इत्यादि तैयार करना।
(16) अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर विवरणी फाईल कराने की व्यवस्था करना।
(17) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साधारण सम्मिलन/सभा/विशेष साधारण सम्मिलन/सभा की बैठक बुलाना।
(18) अधिनियम, नियम के प्रावधान अनुसार बोर्ड/कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से अन्य सोसाइटियों के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन कराना।
(19) सोसाइटी के लेखाओं का नियमानुसार संधारण कराना तथा प्रत्येक सहकारी वर्ष (31 मार्च) के अंत में त्रुटिरहित सोसाइटी के वित्तीय पत्रक तैयार करना व सोसाइटी में लागू विवेकपूर्ण मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

(20) बोर्ड / कमेटी के सदस्यों के त्यागपत्र देने पर बोर्ड / कमेटी में उन पर दस दिवस के भीतर विचार करना निर्णय लेना।
(21) सोसाइटी के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड / कमेटी के अनुमोदन पर पूरक नियम बनाना और साधारण सम्मिलन / सभा से अनुमोदन के पश्चात् उन पर कार्य करना।
(22) सदस्यों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत बाजार के उतार–चढ़ाव के साथ नियमित करना तथा आपातकालीन स्थिति में वस्तुएं नियमित रूप से बेची जाये ऐसी व्यवस्था करना।
(23) प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंत में सोसाइटी के सदस्यों की सूची तैयार कराकर प्रकाशित करवाना, जिसमें सदस्यों का वर्ग जैसे अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़ा वर्ग का उल्लेख सदस्य के नाम के समक्ष दर्शाया जायेगा। ऐसी सूची सोसाइटी के एवं वित्तदायी सोसाइटी के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
(24) लोकहित में सोसाइटी की गतिविधियों / विपणन सुविधाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराना।
(25) सोसाइटी की उपविधियों में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाना।
(26) सोसाइटी के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी कार्यवाहियां करना।
(27) यह निश्चित करना कि कौन सी वस्तुएँ सोसाइटी में मंगाई जाये, उनकी क्या कीमत चुकाई जाये एवं क्या अन्य खर्च चुकाया जाये। वस्तुओं के बीजक जांच करना, हिसाब के खाते चुकता करना तथा सोसाइटी के हित में संबधित समस्त व्यवहारों का पुनरीक्षण करना।
(28) यह देखना कि सोसाइटी के वेतनभोगी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक से कर रहे हैं तथा सोसाइटी की दुकानों का स्टाक एवं सम्पत्ति ठीक प्रकार एवं ठीक दशा में रखी जाती है।
(29) सोसाइटी के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कमेटी के सदस्यों में काम का विभाजन करना एवं सोसाइटी के समस्त अथवा कुछ अधिकारियों को अपने समस्त अथवा कुछ अधिकार सौंपना।
(30) कम से कम प्रत्येक माह में एक बार स्टाक की जाँच करना व गिनना तथा व्यापारिक माल (स्टाक इन ट्रेड) आदि में क्षय (वेस्टेड) निर्धारित करना।
(31) सोसाइटी के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों से प्रतिभूति लेना जो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मान से कम न हो।
(32) यह निश्चित करना कि सोसाइटी के उन सदस्यों में से जो कि शासकीय अथवा स्थानीय सोसाइटी के कर्मचारी हैं, किन सदस्यों को सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी के पक्ष में अनुबंध

पत्र निष्पादन करने के लिए राजी होने पर सोसाइटी से माल ऊधार दिये जाने की अनुमति दी जावे, उनकी ऋण सीमा निर्धारित करना।

(33) सोसाइटी के सेवायुक्तों के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा विरचित सेवानियम के प्रावधानों का पालन करना।

(34) अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपात्र/निर्हरता से ग्रस्त बोर्ड/कमेटी सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(35) सोसाइटी को कारित नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करना।

(36) अन्य कर्त्तव्य तथा अधिकार अधिनियम एवं नियमों के अनुबंधों तथा रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।

(ब) बोर्ड/कमेटी अपने अधिकारों मे से कोई भी अधिकार (क्रमानुसार 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 को छोड़कर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेगी, किन्तु संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत् अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यों का विवरण बोर्ड/कमेटी की बैठक में पुष्टि हेतु रखना आवश्यक होगा।

(स) वह सभी कार्यवाही जो कि बोर्ड/कमेटी की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जिसके संबंध में चर्चा या निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जायेगी, कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा लिखी जायेगी और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिए जायेंगे। कार्यवाही पुस्तिका सोसाइटी के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी।

उपविधि क्रमांक (42)

प्रबंधक की शक्तियां एवं कर्त्तव्य :–

प्रबंधक सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी व अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण पर काम करेगा। उसके कर्त्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :–

(1) रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुरूप सोसाइटी में निर्धारित आवश्यक रजिस्टरों तथा कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना। सोसाइटी के वेतनभोगी कर्मचारियों के काम की निगरानी करना एवं उनको मार्गदर्शन देना।

(2) पावतियां, रसीदें, व्हाउचर्स, चैक अन्य दस्तावेज तैयार करना व उन पर संचालक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर कराना। कैशबुक, जरनल लेजर, सबसिडियरी लेजर एवं अन्य अभिलेखों का संधारण करना।

(3) सोसाइटी की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से साधारण सम्मिलन/सभा, बोर्ड/कमेटी की बैठक बुलाना। संचालक मंडल के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

(4) साधारण सम्मिलन/सभा व बोर्ड/कमेटी की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही विवरण के नीचे उपस्थित सदस्यों (बोर्ड/कमेटी) के हस्ताक्षर कराना।

(5) सोसाइटी के व्यापारिक स्कंध की जाँच करना एवं समय–समय पर भौतिक सत्यापन करना।

(6) बोर्ड/कमेटी की स्वीकृति के अनुसार आकस्मिक व्यय करना।

(7) प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक गत वर्ष के आय व्यय व वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक उपविधियों/नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अधिकारी को भेजना। अधिनियम की धारा 56 के उपबंधों के अनुसार वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रर को निर्धारित समयावधि 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत करना।

(8) रजिस्टरों की प्रतिलिपि को आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित करना।

(9) संपरीक्षा या अन्य अधिकारियों की निरीक्षण टीप के उत्तर तैयार कर बोर्ड/कमेटी के समक्ष रखना।

(10) बजट के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड/कमेटी के द्वारा दिये गये अधिकारों अनुसार व्यय करना।

(11) सोसाइटी द्वारा एकत्रित या प्राप्त समस्त राशियां समिति के बैंक खातों में जमा कराना।

(12) समरूप लेखांकन प्रणाली के अनुसार लेखापुस्तकों का विधिवत व अद्यतन करना/कराना तथा लेखांकन के नियमां का पालन करना।

(13) त्रुटिरहित अंतिम लेखा/वित्तीय पत्रक तैयार करना व सोसाइटी में लागू आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण संबंधी मानदण्डों का अनुपालन करना।

(14) वे अन्य कार्य जो बोर्ड/कमेटी द्वारा सौंपे जाये।

उपविधि क्रमांक (43)

अध्यक्ष व प्रबंधक का दायित्व :–

अध्यक्ष/प्रबंधक ऐसे विवरणियों और ब्यौरों को नियमित रूप से भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे जो रजिस्ट्रार, शासन या संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें। वे लेखा परीक्षा, निरीक्षण टीपों के सोसाइटी को प्राप्त होने के तारीख से 45 दिवस के अंदर निराकरण करेंगे। वार्षिक विवरणी अधिनियम की धारा 56 के उपबंधों के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् छः माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। निधियों का विनियोजन अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों के अनुरूप करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष व प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

उपविधि क्रमांक (44)

सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करने के लिए और कर्मचारियों के कर्त्तव्य पूरा न किये जाने के लिए शास्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 74 में उल्लेखित कृत्य जो कि अपराध की श्रेणी में आते हो, के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर धारा 75 अनुसार शास्तियाँ आरोपित की जा सकती है। संबंधितों को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अस्वीकार/गलत सिद्ध किये जाने अथवा शास्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक (45)

लेखा संपरीक्षकों की नियुक्ति, लेखा संपरीक्षा के संचालन की प्रक्रिया और लेखा संपरीक्षा के अनुपालन की समय सीमा :–

लेखा संपरीक्षकों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म्स के अनुमोदित पैनल में से सोसाइटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन/सभा में किया जायेगा। संपरीक्षक संपरीक्षा का संचालन अधिनियम की धारा 58 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 50 के प्रावधानों एवं रजिस्ट्रार द्वारा तत्संबंध में जारी परिपत्रों में समय–समय पर दिए गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। आडिट आक्षेपों एवं निरीक्षण टीप में वर्णित आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 61 में यथाउल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

उपविधि क्रमांक (46)

सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद दायर करने और वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही में बचाव करने के लिए किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकार :–

सोसाइटी द्वारा किये जाने वाले सामान्य पत्र व्यवहारों, जानकारी, प्रपत्रों पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर समिति अध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकेंगे। कानूनी वाद/अनुबंधों पर बोर्ड/कमेटी द्वारा नामांकित अधिकारी/सदस्य द्वारा कार्यवाहियाँ की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (47)

सोसाइटी केन्द्रीय सहकारी अधिकोष में चालू बचत अमानत खाता खोल सकेगी। यदि ऐसा अधिकोष न हो तो रजिस्ट्रार से अनुमोदन लेकर कमेटी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य अधिकोष में ऐसे खाता खोल सकता है। सोसाइटी द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमें उक्त खातों में जमा की जायेंगी।

उपविधि क्रमांक (48)

(1) बिक्री के समस्त व्यवहार सर्वथा नगदी में किये जाये तथा ऊधारी बिल्कुल बंद रहेगी किन्तु उस व्यक्ति को माल ऊधार दिया जा सकेगा जो शासन अथवा स्थानीय सोसाइटी का कर्मचारी है तथा जिसे अधिनियम की धारा 42 ''क'' के अंतर्गत सोसाइटी के पक्ष में इस आशय का अनुबंध पत्र निष्पादित करने पर कि सोसाइटी से लिखित मांग प्राप्त होने पर उसका नियोक्ता (एम्प्लायर) उसकी मजदूरी अथवा उसके वेतन में से उतनी रकम जितने की उक्त अनुबंध पत्र में निर्दिष्ट की गई है, काट सकेगा। कमेटी द्वारा उसकी निर्धारित ऋण सीमा तक सोसाइटी से ऊधार लेने की अनुमति प्राप्त की गई है।

(2) सोसाइटी की किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के आचरण अथवा वस्तुओं की कीमत, शुद्धता, तौल के संबंध में शिकायतें कमेटी को की जायेगी, जो कि उनकी जाँच कर निर्णय देगी।

उपविधि क्रमांक (49)

साधारणतया सभी वस्तुएं सोसाइटी के सदस्यों को बेची जायेगी, परन्तु रजिस्ट्रार की अनुमति से कमेटी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह निम्न परिस्थिति में असदस्यों को भी वस्तुएँ बेच सकें।

(1) जब कभी किसी वस्तु के खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र बिक्री की आवश्यकता हो, तथा

(2) जब कमेटी को यह प्रतीत हो कि किसी वस्तु का अतिरिक्त संग्रह (स्टॉक) है, तथा

(3) जब कमेटी को यह प्रतीत हो, अमुक वस्तु की बिक्री से सोसाइटी को अत्यधिक लाभ होगा।

उपविधि क्रमांक (50)

वे शर्तें जिन पर सोसाइटी गैर सदस्यों से संव्यवहार कर सकेगी :—

सामान्यतः सोसाइटी गैर सदस्यों से संव्यवहार नहीं करेगी, परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता सामग्री/अन्य उपभोक्ता सामग्री असदस्यों को भी वितरित कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (51)

वे शर्तें जिन पर सोसाइटी अन्य सहकारी सोसाइटियों से सहयुक्त हो सकेगी :–

सोसाइटी अधिनियम की धारा 16–क के अनुसार अन्य सोसाइटियों से सहयुक्त हो सकेगी। इस बाबत् रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से आवश्यक व्यवसायिक शर्तें समय–समय पर आवश्यकतानुसार बोर्ड/कमेटी द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (52)

वे शर्तें जिन पर सोसाइटी सहकारी सोसाइटियों से भिन्न संगठनों से संव्यवहार कर सकेगीः–

सोसाइटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहकारी सोसाइटियों से भिन्न संगठनों से संव्यवहार कर सकेगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए बोर्ड/कमेटी द्वारा आवश्यक प्रक्रिया तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (53)

अधिकार, यदि कोई हो, जो सोसाइटी किसी सोसाइटी या अन्य परिसंघ को प्रदत्त कर सके और वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन इन अधिकारों का प्रयोग संघ/संघों द्वारा किया जा सकेगा :–

सोसाइटी किसी अन्य सहकारी सोसाइटी अथवा परिसंघ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पालन में व्यवसायिक हितों के संबंध में अधिकार बोर्ड/कमेटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदान कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (54)

परिसमापन के अधीन निधियों के व्ययन की रीति :–

सोसाइटी के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा आवेदन किये जाने पर रजिस्ट्रार परिसमापन का आदेश जारी कर सकेगा, इस प्रकार के आदेश में उस प्रयोजन के लिए एक परिसमापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार की गई नियुक्ति की सूचना लिखित में सोसाइटी को दी जायेगी। परिसमापक अधिनियम के अनुसार सोसाइटी के हित में कार्यवाही करेगा।

उपविधि क्रमांक (55)

सोसाइटी के लिए लेखा वर्ष :–

सोसाइटी का लेखा वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होगा।

उपविधि क्रमांक (56)

सदस्य की मृत्यु की दशा में अंशों तथा हित का नाम निर्देशित के नाम अंतरण :–

किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके अंशों तथा हितों के अंतरण संबंधी कार्यवाहियाँ अधिनियम की धारा 26 के अनुसार की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (57)

सोसाइटी के विघटन की प्रक्रिया :–

किसी भी समय जब सोसाइटी के 75 प्रतिशत से अधिक सदस्य लिखित में ऐसा प्रस्ताव करेंगे, जो कि सोसाइटी के बोर्ड/कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, द्वारा सोसाइटी के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। 75 प्रतिशत से अधिक की बहुमत से सदस्य रजिस्ट्रार को सोसाइटी को विघटित मान्य करने का आवेदन कर सकेंगे तथा रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित कोई अधिकारी नामांकित किया जा सकेगा, जो सुनिश्चित करेगा कि विघटित हो चुकने का आदेश पारित करने पर सोसाइटी की अपनी सभी प्रकार की देयताओं का चुकारा करने के बाद बची शेष निधियों को किसी सहकारी बैंक जहां पर सोसाइटी का बैंक में खाता हो, में जमा करायेगा तथा सदस्यों की साधारण सम्मिलन/सभा उपविधियों के अनुसार बुलाकर सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से निर्णय करायेगा कि सोसाइटी की चल/अचल सम्पत्तियों के निपटान/विक्रय की क्या प्रक्रिया अपनाई जाये तथा इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निपटान/विक्रय से प्राप्त राशियों को नामांकित अधिकारी सोसाइटी के बैंक खाते में जमा करायेगा। इसी प्रकार सदस्यों की ओर लंबित राशियों को प्राप्त करके बैंक खाते में जमा कराया जायेगा। उक्त कार्यवाहियाँ पूर्ण हो जाने पर वह अपना प्रतिवेदन, पूर्ण निधियों का विवरण देते हुए रजिस्ट्रार को देगा जो कि ऐसा प्रतिवेदन, प्राप्त होने के बाद सोसाइटी को विघटित घोषित करेगा तथा नामांकित अधिकारी के माध्यम से सोसाइटी की निधियों को उनकी अंशपूंजी के प्रतिशत के आधार पर सदस्यों को बाँट सकेगा।

उपविधि क्रमांक (58)

इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायता समूहों का गठन और उनके लिए शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना :–

सोसाइटी का बोर्ड/कमेटी आवश्यक समझने पर इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायता समूहों के गठन में आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान कर सकेगा तथा उपविधि अनुसार राशियाँ शेष रहने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके लिए शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक (59)

अपील :–

सोसाइटी के बोर्ड/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा पारित/जारी किसी आदेश/निर्णय के विरूद्ध संबंधित द्वारा आदेश/सूचना प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार के समक्ष पूर्ण विवरण/प्रमाणों के साथ अपील की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (60)

प्रबंधक एवं सोसाइटी के सेवायुक्तों हेतु अनिवार्यताएँ :–

(1) सोसाइटी का समिति प्रबंधक बैंक संवर्ग का होगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों के लिए जारी कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानों के अनुरूप विहित योग्यता एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत सोसाइटी के सेवायुक्तों की नियुक्ति की जा सकेगी। सोसाइटी के सेवायुक्तों की भर्ती/पदस्थापना/पदोन्नति/पारिश्रमिक के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा द्वारा विरचित सेवानियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सोसाइटी का बोर्ड/कमेटी बाध्यता के अधीन होंगे।

उपविधि क्रमांक (61)

अमानतें तथा ऋण लेना व ब्याज की दरें :–

(1) बोर्ड/कमेटी जमा रकम के तरीके को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से रकमें उधार लेने के लिए सक्षम होगी, परन्तु इस प्रकार उधार रकम पर दी जाने वाली ब्याज की दरें कभी किसी हालत में उस सहकारी बैंक द्वारा दी गई रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक नहीं हो जिस क्षेत्र में यह सोसाइटी आती है।

(2) बोर्ड/कमेटी अनुसूचित बैंकों, छत्तीसगढ़ वित्त निगम या औद्योगिक विकास बैंक या सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अधिघोषित सोसाइटीओं से भी धनराशि उधार लेने के लिए सक्षम होगी, परन्तु इस प्रकार उधार ली जाने वाली धनराशि के लिए रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आव यक होगा।

(3) सोसाइटी केवल अपने सदस्यों से ही जमा राशि स्वीकार कर सकेगी और जमा राशियों पर देय ब्याज दर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के तदनुरूपी जमा ब्याज दर से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सोसाइटी बोर्ड/कमेटी की स्वीकृति से पृथक से जमा (अमानत) नियम और योजनाएँ बना सकेगी।

उपविधि क्रमांक (62)

वित्त प्रदायी बैंक व अन्य सोसाइटियों से संबंध :–

(1) यह सोसाइटी केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबंधित रहेगी जो उनको आर्थिक सहायता देने वाली सोसाइटी होगी।

(2) जिला सहकारी संघ की भी यह सोसाइटी सदस्य होगी।

(3) यह सोसाइटी छत्तीसगढ़ में अपने वर्ग की केन्द्रीय/शीर्ष सहकारी सोसाइटी से संबद्ध रहेगी तथा उसकी सदस्यता प्राप्त करेगी।

(4) सोसाइटी को केवल संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ही उधार ग्रहण कर सकेगी। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र व तत्सम्बंध में रजिस्ट्रार की लिखित पूर्वानुमति के आधार पर किसी अन्य वित्तीय संस्थान से निधियां उधार ले सकती है। किसी भी समय अधिकतम बकाया उधार उसकी चुकता अंशपूंजी और रिजर्व से संचित हानि को घटाकर उसके 25 गुणा से अधिक नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक (63)

लेखा पुस्तकें तथा अन्य रजिस्टर :–

(अ) समरूप लेखाकंन प्रणाली अन्तर्गत लेखा पुस्तकें तथा अन्य रजिस्टर सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम तथा सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संधारित किया जायेगा, इनके अतिरिक्त सोसाइटी जो रजिस्टर तथा पत्रक रखना आवश्यक समझे संधारित किया जायेगा –

सोसाइटी द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों तथा बहीखातों का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाएगा :

क) वित्तीय विवरणियों से संबंधित बहीखाते

1. नकद बहीखाता
2. बैंक बहीखाता
3. दैनिक बहीखाता
4. सामान्य बहीखाता
5. सहायक बहीखाता
6. शेयर पूजी बहीखाता
7. जमाराशि बहीखाता बचत, सावधि जमा, आवर्ती जमा, पुनर्निवेश जमा
8. उधार बहीखाता अल्पकालिक, मध्यमकालिक
9. सदस्य ऋण बहीखाता अल्पकालिक, मध्यमकालिक (कृषि और गैर–कृषि)
10. विविध ऋण बहीखाता
11. फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण रजिस्टर
12. भूमि और भवन रजिस्टर
13. मूल्यहास चार्ट रजिस्टर
14. स्टॉक रजिस्टर
15. क्रय रजिस्टर
16. विक्रय रजिस्टर
17. सेफ डिपोजिट लॉकर प्रचालन रजिस्टर
18. स्वर्ण ऋण बहीखाता
19. विविध देनदार बहीखाता
20. सस्पेंस आस्ति बहीखाता
21. सस्पेंस देनदारी बहीखाता
22. लाभांश बहीखाता

ख) वित्तीय विवरण से असंबंधित बहीखाते

1. सोसाइटी की उपविधियों की प्रति
2. छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 व नियम 1962 की अध्यतन संशोधित प्रतियां।
3. सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के अन्य नियम व विनियम की प्रतियां
4. सदस्यता रजिस्टर
5. सदस्यता हेतु आवेदन रजिस्टर
6. सोसाइटी द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार संरक्षण दर्शाने वाला रजिस्टर

7. कार्यवृत्त बही (वार्शिक साधारण सम्मिलन व बोर्ड/कमेटी की बैंठकों की कार्यवाही पंजी)
8. खाता खोलने व बंद करने का रजिस्टर
9. सावधि जमा राशियों के परिपक्वता देय ऋण रजिस्टर
10. मासिक ब्याज भुगतान रजिस्टर
11. बीमा पॉलिसी और नवीनीकरण रजिस्टर
12. स्वर्ण स्टॉक रजिस्टर
13. ऋण पावती रजिस्टर
14. तुलन रजिस्टर
15. निष्क्रिय जमाखाता रजिस्टर
16. उधार देय तिथि रजिस्टर
17. निवेश व परिपक्वता रजिस्टर
18. गिरवी रखे स्टॉक रजिस्टर
19. दायर वाद रजिस्टर
20. DCB रजिस्टर
21. अतिदेय/ NPA रजिस्टर
22. संपरीक्षण रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और निरीक्षण रिपोर्ट और उसकी अनुपालना रिपोर्ट की प्रतियां
23. सदस्यों की भूमि अभिलेख रजिस्टर
24. स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर
25. स्टाफ सेवा नियम
26. निरीक्षण/भेट रजिस्टर
27. आवक/जावक रजिस्टर व अन्य आवश्यक अभिलेख भी रखे जायेंगे जो कारोबार के लिए आवश्यक हो।
28. सदस्यों की वैध उत्तराधिकारी के मनोनयन का रजिस्टर
29. वेतन/मजदूरी रजिस्टर

(2) सोसाइटी के बहीखाते, अभिलेख व रजिस्टरों को समिति प्रबंधक या उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

(3) सोसाइटी पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे नाबार्ड द्वारा डिज़ाइन किए गए कॉमन सॉफ्टवेयर सिस्टम का प्रयोग करेगी।

(4) सोसाइटी, अधिनियम की प्रति, नियम की प्रति, सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत उपविधियां, रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, सदस्यता पंजी, अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन–पत्र, लाभ–हानि पत्रक, साधारण सम्मिलनों के कार्यवृत्त तथा

बोर्ड/कमेटी की बैठकों के कार्यवृत्त अपने सदस्यों के निःशुल्क निरीक्षण हेतु युक्तियुक्त समय निर्धारित कर अपने मुख्यालय पर रखेगी।

उपविधि क्रमांक (64)

सोसाइटी की मुद्रा :-

सोसाइटी की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी और जिसका उपयोग सोसाइटी द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे। उस लिखतों/विलेखों पर जिस पर यह मुद्रा लगाई जायेगी, समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे, जिन्हें समिति ने इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक (65)

विवाद :-

विवाद जो इन उपविधियों के अथवा सोसाइटी के संबंध में अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत हो, निर्णय के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत होंगे, जो उक्त विधान तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे।

उपविधि क्रमांक (66)

सूचना पत्र की तामिली :-

इन उपविधियों में जहां बताया गया है कि किसी सदस्य को लिखित सूचना पत्र दिया जायेगा तो ऐसे सूचना पत्र का ऐसे सदस्यों को स्वयं दिया जाना अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से उस पते पर जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो, भेजा जायेगा।

उपविधि क्रमांक (67)

कर्मचारियों के लिये नियम व सेवा शर्तें :-

सोसाइटी कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, प्रवास भत्ता, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन या सामान्य भविष्य निधि इत्यादि के मामले में सेवा नियम बनाकर रजिस्ट्रार से अनुमोदन करायेगी। सेवानियम के अनुसार ही सेवायुक्तों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति, निलम्बन एवं सेवामुक्त करने की कार्यवाही सोसाइटी द्वारा की जायेगी।

उपविधि क्रमांक (68)

घाटे का दायित्व :–

(अ) बोर्ड/कमेटी के सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रबंधक इत्यादि जिनको सोसाइटी के संचालन के संबंध में अधिकार है, व्यवहार कुशल व्यक्ति के समान सब काम चिंता से व सावधानी से करेंगे और उस हानि के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि अधिनियम उसके अंतर्गत नियम और उन उपविधियों के विरूद्ध काम करने से सोसाइटी को हुई हो। किसी वर्ष में घाटा होने की दशा में सोसाइटी की बोर्ड/कमेटी घाटे के कारणों को सोसाइटी की साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा परीक्षण कर घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक निर्देश बोर्ड/कमेटी को देगी।

(ब) सोसाइटी को हानि पहुंचाने पर कार्यवाही एवं वसूली हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण:–

(1) सोसाइटी की चल अचल सम्पत्ति के अमानत में खयानत या अन्य आपराधिक प्रकार से क्षति पहुंचाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही पुलिस में दर्ज कराने का उत्तरदायित्व, संज्ञान में आने के एक माह के अंदर सोसाइटी के समिति प्रबंधक का होगा, परन्तु समिति प्रबंधक आरोपी हो तो कार्यवाही का दायित्व अध्यक्ष पर होगा तथा किसी बोर्ड/कमेटी के सदस्य के आरोपी होने पर, समिति प्रबंधक प्रकरण बोर्ड में रखेगा, तथा बोर्ड/कमेटी के निर्णयानुसार कार्यवाही करने का दायित्व उसका होगा। आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराने के अतिरिक्त ऐसी राशि की चल व अचल सम्पत्ति से वसूली के लिए अधिनियम की धारा 64 में भी उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध विवाद दायर कर दोषी की सम्पत्ति को अधिनियम की धारा 68 में अटेचमेन्ट बिफोर अवार्ड का आवेदन भी लगायेगा। यदि इस प्रकार उत्तरदायी व्यक्ति उक्त कार्यवाही करने में असफल रहता है, तो उसे भी आरोपी मानते हुए अन्य सभी आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध उक्तानुसार कार्यवाही सीधे वित्तदायी बैंक द्वारा दो माह के अंदर की जायेगी। इस प्रकार की घटना की जानकारी जिले के सहकारी बैंक तथा उप/सहायक पंजीयक के संज्ञान में आने के 15 दिवस में भेजी जायेगी। यदि सोसाइटी एवं बैंक दोनों कार्यवाही में असफल रहते हैं तो सहकारिता विभाग कार्यवाही करेगा।

(2) सोसाइटी के संपरीक्षक के प्रतिवेदन या वित्तदायी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त घटना का संज्ञान होने पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(3) अधिनियम, नियम, उपविधि के विपरीत व्यय करने पर भी हुए व्यय की वसूली के लिये उपरोक्तानुसार वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(4) आपराधिक ढंग तथा उपरोक्त कंडिका (3) को छोड़कर अन्य प्रकार से सोसाइटी को क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण सोसाइटी के साधारण निकाय से कराया जायेगा तथा निर्णयानुसार कार्यवाही समिति प्रबंधक सुनिश्चित करेगा।

(5) सोसाइटी को हुए नुकसान की प्रतिपर्ति के लिए रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 58—ख के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी।

उपविधि क्रमांक (69)

कर्मचारियों की रक्षा निधि :—

सोसाइटी अपने कर्मचारियों तथा कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की परिधि में आने की दशा में, सक्षमता होने पर सेवानियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (70)

रजिस्ट्रीकृत पता व सोसाइटी का नाम संप्रदर्शन :—

अधिनियम की धारा 32 सहपठित नियम के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर सोसाइटी के नाम एवं पते का संप्रदर्शन करेगी। नियम 22(3) में वर्णित अनुरूप सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना बोर्ड/कमेटी द्वारा रजिस्ट्रार को तत्काल दी जायेगी। रजिस्ट्रीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन रजिस्ट्रीकृत करने के उपरान्त ही संशोधित माना जावेगा। सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जहाँ—जहाँ यह कारोबार करता है वहां, सोसाइटी द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं व आधिकारिक प्रकाशनों में, अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों पर, माल के लिए आदेशों में बीजक, लेखाओं के विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर सोसाइटी का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और ''**अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत**'' अनिवार्य रूप से लिखेगी।

उपविधि क्रमांक (71)

अन्य शाखा की स्थापना :–

सोसाइटी रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना सोसाइटी की कोई शाखा कार्यक्षेत्र से बाहर स्थापित नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक (72)

दस्तावेजों का निष्पादन :–

रसीदों को छोड़कर सोसाइटी की ओर से निष्पादित सारे भार पत्रों (चार्जेस) या अन्य लिखतों/विलेखों पर सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष, प्रबंधक और बोर्ड/कमेटी के एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे। बोर्ड/कमेटी के अधिकार प्राप्त कर प्रबंधक रसीदों पर हस्ताक्षर करेंगे।

उपविधि क्रमांक (73)

भवन व सम्पत्ति :–

अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसाइटी को जिन कार्यालय, शेड्स और गोदामों की आवश्यकता हो, उन्हें वह रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से बना सकेगी या किराये पर ले सकेगी तथा इस प्रयोजन के लिए भूमि प्राप्त करेगा।

उपविधि क्रमांक (74)

प्रकीर्ण :–

(1) सोसाइटी का बोर्ड/कमेटी अधिनियम, नियम एवं इन उपविधियों के प्रावधानों तथा रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों का अनुपालन करने के बाध्यता के अधीन होगी।

(2) इन उपविधियों में वर्णित किन्हीं प्रावधानों का अधिनियम/नियम के प्रावधानों से असंगत होने की दशा में अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

———000———